# वार्षिक रिपोर्ट

## 2022-2023

## इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड

**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी**

**सीआईएन: U45309DL2020GOI374941**

# विषयसूची


| | |
|---|---|
| निदेशक मंडल | **3** |
| संदर्भ सूचना | 4 |
| **अध्यक्ष का संबोधन** | 5 |
| **निदेशक की रिपोर्ट और इसके परिशिष्ट:** | |
| निदेशक की रिपोर्ट | 7 |
| संबंधित पक्ष संव्यवहार (फॉर्म सं. एओसी-2) | **18** |
| **वित्तीय विवरण** | |
| लेखापरीक्षक की रिपोर्ट | **20** |
| तुलन पत्र | **35** |
| लाभ और हानि विवरण | **36** |
| रोकड़ प्रवाह विवरण | **37** |
| इक्विटी परिवर्तन नोट | **38** |
| वित्तीय विवरणों के नोट | 39 |
| नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां | **102** |


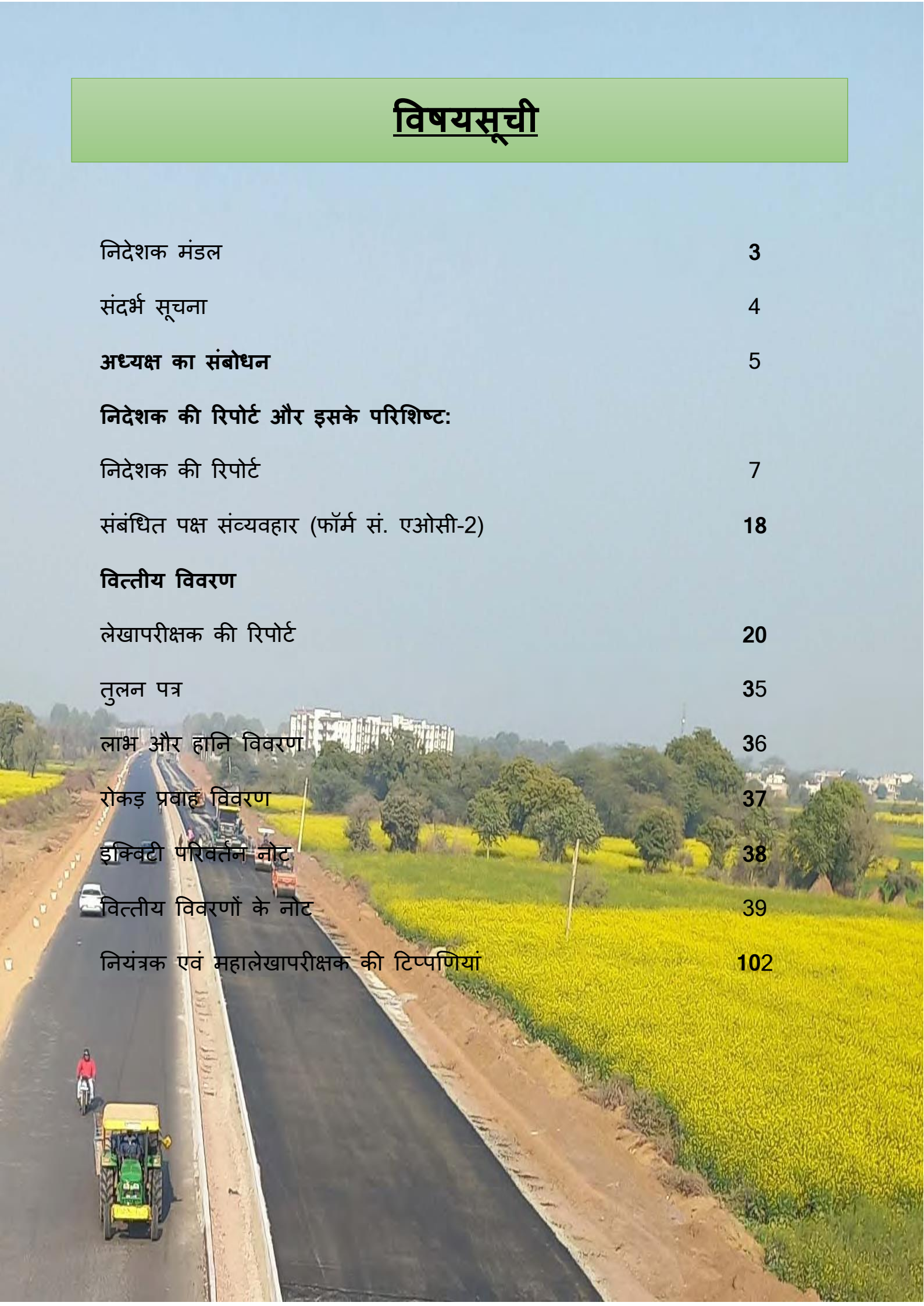

# निदेशक मंडल

**श्री पराग वर्मा**

**अध्यक्ष**

**श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा**

**निदेशक**

**श्री बी. मुगुंथन**

**निदेशक**

**श्री मसूद अहमद**

**निदेशक**

# इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड

**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी**

**सीआईएन: U45309DL2020GOI374941**

## प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी

| | |
|---|---|
| श्री दीपक कुमार गर्ग | : मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| श्री एलिन रॉय चौधरी | : मुख्य वित्तीय अधिकारी |
| श्री अंकित जैन | : कंपनी सचिव |

| सांविधिक लेखापरीक्षक | आंतरिक लेखापरीक्षक |
|---|---|
| मेसर्स राजन मलिक एंड कंपनी<br>सनदी लेखाकार | मेसर्स एम एम एसोसिएट्स<br>लागत लेखाकार |

## बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक ( नई दिल्ली)

| संपर्क अधिकारी | पंजीकृत कार्यालय |
|---|---|
| श्री अंकित जैन<br>कंपनी सचिव<br>ई-मेल: ankit.jain@ircon.org | सी-4, जिला केंद्र, साकेत<br>नई दिल्ली-110017 |

# अध्यक्ष का संबोधन

**प्रिय शेयरधारकों**

आरंभ में, अपने व अपने प्रियजनों के अच्छे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। मुझे वर्ष 2022-23 के लिए इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड की तीसरी (3) वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस बैठक में शामिल होने के लिए मैं हरएक व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं।

**कंपनी का परिचय :**

मैं आपके समक्ष, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपकी कंपनी की कुछ विशेषताएं प्रस्तुत करना चाहता हूं।

इरकॉनजीआरएचएल को इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 24 दिसंबर, 2020 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("इरकॉन"), धारक कंपनी द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में निगमित किया गया है। इरकॉनजीआरएचएल का मुख्य उद्देश्य "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ किए गए रियायत करार की शर्तों के अनुसार, भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड एन्यूटी के आधार पर एक फीडर रूट के रूप में हरियाणा राज्य में एनएच-352डब्ल्यू के गुड़गांव-पटौदी-रेवाड़ी खंड को किमी 43.87 (डिजाइन लंबाई 46.11 किमी) से अपग्रेड करना" है। इस परियोजना की रियायत अवधि, नियुक्ति तिथि से 2 वर्ष की निर्माण अवधि को छोड़ कर, 15 वर्ष है।

कुल परियोजना बोली लागत 900 करोड़ रूपए जमा मूल्यसंवर्धन है, जिसमें 40% परियोजना लागत, एनएचएआई द्वारा प्रतिपूर्तियोग्य है और 60% एसपीवी द्वारा वित्तपोषित है। आपकी कंपनी तदनुसार, 685 करोड़ रूपए की परियोजना निर्माण लागत का वित्तपोषण कर रही है जिसमें से 412.90 करोड़ रूपए का वित्तपोषण 1:3 के अनुपात में इक्विटी और ऋण के माध्यम से किया जाना है। कंपनी ने परियोजना के निष्पादन के लिए दिनांक 25 जून, 2021 को इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से 309.68 करोड़ रूपए की सावधि ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त किया है। बैंक द्वारा, 20,000 रूपए की राशि का ऋण, दिनांक 31.03.2023 को संवितरित किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक कोविड-19, भूमि संबंधी बाधाओं और सीओएस अनुमोदनों में देरी, जैसी विभिन्न बाधाओं के कारण, आपकी कंपनी ने रियायत समझौते में शामिल कुल कार्यक्षेत्र में 24.35% की कुल प्रगति और 20.65% की वित्तीय प्रगति प्राप्त की है।

**<u>वित्तीय निष्पादन</u> :**

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक, आपकी कंपनी की कुल संपत्ति 7507.27 लाख रूपए; कुल आय 15808.32 लाख रूपए है और कर पश्चात लाभ 367.33 लाख रूपए है।

**अनुपालन और प्रकटन**

कंपनी अधिनियम, 2013 और उससे अंतर्गत आने वाले नियमों का आपकी कंपनी, अनुपालन और प्रकटीकरण का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिनांक 10 जुलाई 2014 और **11** जुलाई 2019 को जारी कार्यालय ज्ञापनों के तहत, विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित सीपीएसई को सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है। इसलिए, ये आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

**समझौता ज्ञापन (एम ओ यू)**

आपकी कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2023 को जारी किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) दिशानिर्देशों के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए वार्षिक समझौता ज्ञापन प्रक्रिया के अनुपालन से छूट देने के लिए इरकॉन से अनुरोध किया है, और इरकॉन ने अपने दिनांक 07 नवंबर, 2022 और 06 फरवरी, 2023 के पत्रों के माध्यम से कंपनी को क्रमशः वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए वार्षिक समझौता ज्ञापन प्रक्रिया के अनुपालन से छूट प्रदान की है।

**आभारोक्ति**

मैं, निदेशक मंडल की ओर से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), एनएचएआई, इरकॉन, कंपनी के लेखापरीक्षकों और हमें वर्ष के दौरान सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करने वाले सभी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं कर्मचारियों के समर्पण, बुद्धिमता और कड़ी मेहनत के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अंत में, मैं बोर्ड में अपने सहयोगियों को, उनके मार्गदर्शन और निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

हम भावी प्रगति पथ हेतु आपके निरंतर सहयोग की कामना करते हैं।

**कृते और की ओर से**
**इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड**

**ह/-**
**(पराग वर्मा)**
**अध्यक्ष**
**डीआईएन: 05272169**

**दिनांक: 07 अगस्त, 2023**
**स्थान: नई दिल्ली**

# निर्देशकों की रिपोर्ट

**प्रिय सदस्यों,**

आपके निर्देशकों को दिनांक 31 मार्च, 2023 के लिए समाप्त वित्तीव वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनजीआरएचएल) की तीसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है।

## 1. व्यावसायिक प्रचालनिक विशेषताएं : कंपनी के कार्यों की वर्तमान स्थिति

**इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनजीआरएचएल),**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे दिनांक 24 दिसंबर, 2020 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा हरियाणा राज्य में परियोजना कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में निगमित किया गया है। इरकॉनजीआरएचएल का मुख्य उद्देश्य भारतमाला परियोजना के तहत एनएचएआई के साथ रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार हरियाणा राज्य में "एनएच-352डब्ल्यू के गुड़गांव-पटौदी-रेवाड़ी खंड को 0 किमी से 43.87 किमी (डिजाइन लंबाई : 46.11 किमी) में हाइब्रिड एनिविटी मोड पर फीडर रूट के रूप में अपग्रेड करना" है।

दिनांक 20 जनवरी, 2021 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एनएचएआई द्वारा दिनांक 24 नवंबर, 2021 को निर्धारित तिथि तय की गई है। उक्त कार्य के निष्पादन के लिए इरकॉन को ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है। परियोजना क्रियान्वयन चरण में है। दिनांक 31 मार्च, 2023 तक कार्य की प्रगति 24.35% थी और इस कार्य के 30 जून, 2024 को पूरा होने की संभावना थी।

रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार, कुल परियोजना बोली लागत 900 करोड़ रूपए है और प्रथम वर्ष की परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) लागत 2.5 करोड़ रूपए है। परियोजना बोली लागत का 40% की प्रतिभूति, निर्माण के दौरान एनएचएआई द्वारा की जाएगी और शेष 60% एनिविटी के रूप में निर्माण के पश्चात प्राप्य होगा। कुल परियोजना लागत 900 करोड़ रूपए है, जिसमें से 412.90 करोड़ को 1:3 के अनुपात में इक्विटी और ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाना है। तदनुसार, कंपनी ने परियोजना के निष्पादन के लिए दिनांक 25 जून, 2021 को इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से 309.68 करोड़ रूपए की सावधि ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त किया। दिनांक 31 मार्च 2023 को आईओबी द्वारा 20,000 रूपए का ऋण संवितरित किया गया है।

अतिक्रमण मुक्त भूमि को सौंपने में देरी, पेड़ों की कटाई, आसपास के क्षेत्र में खनन पर एनजीटी का प्रतिबंध, कोविड-19 की दूसरी लहर और अन्य मुद्दों के कारण परियोजना की प्रगति में देरी हो रही है, जिनके लिए रियायतग्राही उत्तरदायी नहीं हैं और इसके लिए ग्राहक के साथ ईओटी लागू किया गया है। इन मुद्दों का समाधान दिनांक 31 अगस्त, 2023 तक होने की संभावना है और संशोधित परियोजना पूरी होने की तारीख 30 जून, 2024 है।

## 2. वित्तीय विशेषताएं

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए हैं।

**दिनांक 31 मार्च 2023 को वित्तीय विवरण सूचक:**

(राशि रूपए लाख में)

| क्र.सं | विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|
| 1. | इक्विटी शेयर पूंजी | 5.0 | 5.0 |
| 2. | अन्य इक्विटी (आरक्षित निधि और अतिरेक सहित) | 7502.27 | 1834.94 |
| 3. | निवल संपत्ति | 7507.27 | 1839.94 |
| 4. | कर्ज | 0.20 | 0.20 |
| 5. | कुल परिसंपत्ति और देयताएं | 15895.25 | 2793.13 |
| 6. | प्रचालनों से राजस्व | 15748.37 | 2467.52 |
| 7. | अन्य आय | 59.95 | - |
| 8. | **कुल आय (6) + (7)** | **15808.32** | **2467.52** |
| 9. | कर पूर्व लाभ | 490.88 | 0 |
| 10 | **कर पश्चात लाभ/(हानि)** | **367.33** | **(1.11)** |
| 11 | निवल रोकड़ प्रवाह | 835.77 | 107.62 |

**3. लाभांश और आरक्षित निधि का विनियोजन:**

निदेशक मंडल, दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

इंड एएस की प्रयोज्यता के अनुसार, आरक्षित निधि को वित्तीय विवरणों में 'अन्य इक्विटी' के तहत प्रतिधारित आमदनी के रूप में परिलक्षित किया जाता है और आपकी कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च 2023 तक प्रतिधारित आमदनियों में 367.27 लाख रूपए की शेष राशि है।

**4. शेयर पूंजी /डीमेटिरियलाइजेशन:**

दिनांक 31 मार्च 2023 को कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 4 करोड़ रुपये है, जिसमें प्रति 10 रूपए के 4,00,000 इक्विटी शेयर और प्रदत्त शेयर पूंजी 5 लाख है, जिसमें प्रति 10 रूपए के 50,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन), इस कंपनी की 100 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी को धारित किए हुए है।

कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) संशोधन नियम, 2019 दिनांक 22 जनवरी, 2019 के नियम 9ए के अनुसार, कंपनी को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) होने के कारण, अपनी प्रतिभूतियों को डीमैट रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

**5. परियोजनाओं से रोकड़ प्रवाह**

वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों से कुल रोकड़ प्रवाह 835.77 लाख रूपए है।

**6. <u>सहायक/संयुक्त उद्यम/ संबद्ध कंपनियों का विवरण</u>:**

समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी की कोई सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनी नहीं थी।

**7. <u>निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कर्मचारी वर्ग:</u>**

<u>निदेशक मंडल</u>:

**वर्ष 2022-23 के दौरान पदनाम के साथ निर्देशकों की श्रेणी और नाम**

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, कंपनी के बोर्ड की नियुक्ति होल्डिंग कंपनी, इरकॉन द्वारा की जाती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने श्री अशोक कुमार गोयल के स्थान पर आपकी कंपनी के अध्यक्ष (अंशकालिक नामांकित) के रूप में श्री पराग वर्मा [डीआईएन: 05272169] को दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 को पुनः नामित किया था। होल्डिंग कंपनी [इरकॉन] द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 से नामांकन वापस लेने के परिणामस्वरूप श्री अशोक कुमार गोयल आपकी कंपनी के निदेशक और अध्यक्ष पद से पदमुक्त हो गए थे। होल्डिंग कंपनी ने श्री अशोक कुमार गोयल के स्थान पर श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा [डीआईएन: 08556821] को दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 से अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित किया है।

बोर्ड ने कंपनी के अध्यक्ष और निर्देशकों के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री अशोक कुमार गोयल द्वारा दिए गए उनके बहुमूल्य योगदान और मार्गदर्शन और समर्थन के लिए सराहना व्यक्त की है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 तक, इरकॉन द्वारा नामित अध्यक्ष सहित निर्देशकों की कुल संख्या चार (4) है। निदेशकों का विवरण इस प्रकार है:

| श्रेणी, नाम और पदनाम | डिन | नियुक्ति या समापन (दौरान वर्ष, यदि कोई) |
|---|---|---|
| श्री अशोक कुमार गोयल<br>अध्यक्ष | 05308809 | दिनांक 10 अक्तूबर 2022 से निदेशक और अध्यक्ष के पद से पदमुक्त हुए। |
| श्री पराग वर्मा,<br>निदेशक | 05272169 | दिनांक 10 अक्तूबर 2023 से अध्यक्ष के पद पर पुन:पदनामित किए गए। |
| श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा,<br>निदेशक | 08556821 | दिनांक 10 अक्तूबर 2022 से अपर निदेशक के पद पर नियुक्त हुए। |
| श्री मसूद अहमद,<br>निदेशक | 09008553 | दिनांक 24 दिसंबर, 2020 से निदेशक के पद पर नियुक्त हुए। |
| श्री मुगुनथन बोजु गौड़ा, निदेशक | 08517013 | दिनांक 01 जून, 2022 से निदेशक के पद पर नियुक्त हुए।<br>दिनांक 23 अगस्त, 2022 को आयोजित दूसरी एजीएम में नियमित हुए। |

श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा को इरकॉन द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 से कंपनी के अपर अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित किया गया था, जो आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक इस पद पर बने रहेंगे। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा से एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी उम्मीदवारी दी है, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए दायी हैं। शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को आगामी एजीएम की सूचना में शामिल किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के प्रावधानों के अनुसार, श्री पराग वर्मा आपकी कंपनी की वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने पर, स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करेंगे। निदेशक मंडल द्वारा निदेशक के रूप में

उनकी पुनर्नियुक्ति की सिफारिश की जाती है और उनका संक्षिप्त जीवनवृत्त, वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न है।

निदेशक के रूप में नियुक्त/पुनः नियुक्त होने के लिए कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

**<u>प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी</u> :**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-203 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) निम्नानुसार हैं।

| **श्रेणी, नाम और पद** | **पद** | **नियुक्ति की तिथि** |
|---|---|---|
| श्री दीपक कुमार गर्ग | मुख्य कार्यपालक अधिकारी | 17.03.2021 |
| श्री एलिन रॉय चौधरी | मुख्य वित्त अधिकारी | 01.07.2021 |
| श्री अंकित जैन | कंपनी सचिव | 17.03.2021 |

**8. बोर्ड की बैठकें:**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड की पांच (5) बैठकें आयोजित की गईं अर्थात 12 अप्रैल, 2022, 17 मई, 2022, 4 अगस्त, 2022, 3 नवंबर, 2022 और 31 जनवरी, 2023। बोर्ड की बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था। बोर्ड की बैठकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

| **बैठक की तिथि** | **बोर्ड सदस्यों की संख्या** | **उपस्थित निर्देशकों की संख्या** |
|---|---|---|
| 12 अप्रैल, 2022 | 4 | 3 |
| 17 मई, 2022 | 4 | 4 |
| 4 अगस्त, 2022 | 4 | 4 |
| 3 नवंबर, 2022 | 4 | 4 |
| 31 जनवरी, 2023 | 4 | 4 |

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उनकी उपस्थिति को दर्शाने वाली तालिका निम्नानुसार है:-

| निदेशक | बैठक की तिथि | | | | | क्या 23.08.2022 को आयोजित एजीएम बैठक में भाग लिया | कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें | बैठकों में उपस्थिति की संख्या | उपस्थिति का % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.04.2022 | 17.05.2022 | 04.08.2022 | 03.11.2022 | 31.01.2023 | | | | |
| श्री अशोक कुमार गोयल (01 अक्टूबर, 2021 से) | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | हां | 3 | 3 | 100 |
| श्री पराग वर्मा | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | हां | 5 | 5 | 100 |
| श्री बी मुगुंथन | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | नहीं | 5 | 5 | 100 |
| श्री मसूद अहमद | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | हां | 5 | 4 | 80 |
| श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा (10 अक्टूबर 2022 से) | - | - | - | ✓ | ✓ | लागू नहीं | 2 | 2 | 100 |

**9. स्वतंत्र निदेशक और बोर्ड समितियां और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश:** कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी (निर्देशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम-4 में संशोधन, एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी, जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, उसे बोर्ड में स्वतंत्र निर्देशकों की नियुक्ति की आवश्यकता से छूट दी गई है। इसके अलावा, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 की धारा 177(1), 178(1) और नियम-6 के प्रावधान के साथ पठित, बोर्ड समितियों नामत: लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन की आवश्यकता ऐसी कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 8-10 जुलाई 2014 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित 11 जुलाई, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित सीपीएसई को कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई है। इसलिए, डीपीई के निगमित शासान दिशानिर्देश, इरकॉन जीआरएचएल पर लागू नहीं हैं।

इरकॉन जीआरएचएल, एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसलिए इसे अपने बोर्ड में किसी भी स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है और स्वतंत्र निर्देशकों की घोषणा, कंपनी पर लागू नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन भी कंपनी पर लागू नहीं है।

**10. निदेशक के उत्तरदायित्व का विवरण:**

कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि:

क) दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु वार्षिक लेखा तैयार करने में सामग्री विचलनों, यदि कोई हो, से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।

ख) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया और निरंतर लागू किया गया है और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे, जो तर्कसंगत और विवकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की कार्य स्थिति तथा उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही एवं वास्तविक स्थिति प्रस्तुत हो सके।

ग) परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छल-कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ) वार्षिक लेखा विवरण ''निरंतर'' आधार पर तैयार किए गए हैं।

छ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

**11. निदेशक का अवलोकन और वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी (उनकी रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण:**

वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में खातों का विवरण स्व-व्याख्यात्मक है तथा इसे और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, जिसके लिए किसी भी तरह के स्पष्टीकरण/ पुष्टि की आवश्यकता होती है।

**12. सांविधिक लेखापरीक्षक:**

मेसर्स राजन मलिक एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएजी के दिनांक 31 अगस्त, 2022 के पत्र के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में

नियुक्त किया गया था। उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-139(1) के तहत लिखित सहमति और प्रमाण पत्र के माध्यम से पुष्टि की है।

**सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियाँ**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, शून्य अवलोकन के साथ, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) से गैर समीक्षा प्रमाण पत्र के साथ वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग से संलग्न की गई है।

**13. आंतरिक लेखापरीक्षक** :

निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 138 की शर्तों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए मेसर्स, एम.एम. एसोसिएट्स, लागत लेखाकारों को आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया था।

**14. लागत रिकॉर्ड:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण का प्रावधान, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है।

**15. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-204 के तहत पेशेवर कंपनी सचिव से सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है।

**16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण:**

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-186 के प्रावधानों के तहत शामिल किए गए ऋण, गारंटी और निवेश का कोई लेनदेन नहीं है।

**17. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं के विवरण:**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, होल्डिंग कंपनी, इरकॉन के साथ संबंधित पक्ष लेनदेन, व्यापार के सामान्य क्रम में और आर्म लैंथ आधार पर थे और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुमोदित थे। फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण इस रिपोर्ट के **अनुबंध-1** के रूप में संलग्न है।

**18. वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं:**

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच के अंतराल में नहीं हुए थे।

**19. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और खर्च :**

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत निर्धारित विवरण निम्नानुसार है:

क. ऊर्जा का संरक्षण: -

i. ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव - शून्य

ii. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम - शून्य

iii. ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश - शून्य

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण: - **लागू नहीं**

i. प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास;

ii. उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ;

iii. आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)

क. आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण;

ख. आयात का वर्ष;

ग. क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से समाहित कर लिया गया है;

घ. यदि पूरी तरह से समाहित नहीं किया गया है, तो वे क्षेत्र जहां समाहना नहीं हुआ है, और उसके कारण; और

iv. अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय: - **लागू नहीं**

i. अर्जित विदेशी मुद्रा

ii विदेशी मुद्रा व्यय

**20. जोखिम प्रबंधन:**

बोर्ड के मतानुसार, वर्तमान में कंपनी अपने व्यवसाय के लिए किसी भी बड़े खतरे/जोखिम को नहीं देखती है।

**21. क्रेडिट रेटिंग:**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, केयर रेटिंग्स लिमिटेड ने आपकी कंपनी को 309.68 करोड़ रुपये की दीर्घकालिक बैंक सुविधाओं के लिए केयर एए-(सीई) रेटिंग प्रदान की है।

**22. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी :**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।

**23. कर्मचारियों के विवरण:**

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों और अध्याय-XIII के तहत संबंधित नियमों के अनुपालन से छूट दी गई है।

इरकॉनजीआरएचएल, एक सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी के लिए निर्देशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में कंपनी के नियम 5(2) (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के तहत निर्धारित मानदंडों के तहत आने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बारे में जानकारी का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

इरकॉनजीआरएचएल में कर्मचारियों को उसकी धारक कंपनी द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है। हालांकि, एक कर्मचारी को अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया है।

**24. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

**25. सार्वजनिक जमा राशि:**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियां (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार अपने सदस्यों से किसी भी जमा राशि को आमंत्रित नहीं किया है।

**26. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता**

कंपनी के प्रचालनों के आकार को ध्यान में रखते हुए, कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा जाता है। कंपनी, लेखा बहियों को सुव्यवस्थित रूप में बनाए रखने और वित्तीय विवरणों में रिपोर्टिंग के लिए सभी लागू लेखांकन मानकों का पालन कर रही है। कंपनी ने लागत लेखाकारों की एक स्वतंत्र फर्म को आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी की प्रणालियोंऔर व्यवस्थाओं को कंपनी के प्रचालनों के आकार और प्रकृति के अनुरूप, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण के साथ डिज़ाइन किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षक, प्रचालनों के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए अर्धवार्षिक लेखापरीक्षा और समीक्षा करते हैं। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को चर्चा और आवश्यक कार्रवाई के लिए निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

**27. कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेश**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी के गोइंग कंसर्न स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले, विनियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

**28. खरीद वरीयता नीति के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत सभी कंपनियां, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रूपए से अधिक है और सभी सीपीएसई, भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार स्थापित ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म पर कंपनी को पंजीकृत करना अपेक्षित है। प्रत्येक राज्य में कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ऐसे निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार सीपीएसई द्वारा ऐसे निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में, एमएसई के व्यापार प्राप्य के वित्तपोषण की सुविधा के लिए उनकी प्राप्तियों में छूट और नियत तारीख से पहले उनके भुगतान की वसूली को सुलभ बनाने के लिए कंपनी दिनांक 31 जनवरी, 2022 से टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म में शामिल हो गई है।

**29. कार्यस्थल में महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटन:**

कंपनी इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के कारण, इरकॉन (पीओएसएच नीति) की 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए नीति' कंपनी पर लागू होती है और इरकॉन की आंतरिक शिकायत समिति पीओएसएच नीति के तहत सभी मामलों का निपटान करती है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जहां कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अनुसार यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत दर्ज की गई हो।

**30. सतर्कता तंत्र:**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सतर्कता तंत्र की स्थापना से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-177(9) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

## 31. सूचना का अधिकार:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आपकी कंपनी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था, हालांकि, डीपीई से हस्तांतरित आरटीआई आवेदनों का वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान विधिवत उत्तर दिया गया था।

## 32. बोर्ड के सदस्यों का निष्पादन मूल्यांकन:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप-धारा (2), (3) और (4), सरकारी कंपनी के निदेशकों पर लागू नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, एमसीए द्वारा जारी उपर्युक्त परिपत्र के तहत भी नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में खंड 178 की उप-धारा (2), (3) और (4) के प्रावधान सरकारी कंपनियों के निर्देशकों पर लागू नहीं होगा।

एक सरकारी कंपनी और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, सभी अंशकालिक निर्देशकों को होल्डिंग कंपनी, इरकॉन द्वारा नामित किया जाता है। इन मनोनीत निर्देशकों का मूल्यांकन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्व-निर्धारित मानदंडों के अनुसार होल्डिंग कंपनी द्वारा किया जाता है। इसलिए, निदेशकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन का प्रावधान, आपकी कंपनी पर लागू नहीं है।

## 33. सचिवीय मानक

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों के अनुपालन में है।

## 34. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत लंबित आवेदन/कार्रवाई

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कंपनी के प्रति कोई कार्रवाई आरंभ /लंबित नहीं है, जो कंपनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

## 35. समझौता ज्ञापन (एमओयू):

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिनांक 10 मार्च, 2023 के समेकित समझौता ज्ञापन (एमओयू) दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार, कंपनियां, जो सीपीएसई की सहायक कंपनी हैं, अपनी होल्डिंग कंपनी के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगी और होल्डिंग कंपनी, अपनी सहायक कंपनियों के लिए समझौता ज्ञापन से छूट के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और छूट की प्रक्रिया आमतौर पर आधार वर्ष के 31 मार्च तक पूरी की जाती है।

डीपीई के समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों के अनुरूप, इरकॉन ने अपने दिनांक 7 नवंबर, 2022 और 06 फरवरी, 2023 के पत्रों के माध्यम से कंपनी को क्रमशः वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने से छूट दी है।

**36. आभारोक्ति:**

हम, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), विभिन्न अन्य सरकारी एजेंसियों, बैंकों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड ए.जी) और सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं, और भविष्य में भी उनके सहयोग की कामना करते हैं।

हम सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान के लिए उनकी सराहना भी करते हैं। आपका निदेशक मंडल भी इस अवसर पर समीक्षाधीन अवधि में शेयरधारकों से प्राप्त सहयोग और समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करता है और धन्यवाद देता है। उनकी कड़ी मेहनत, एकजुटता, सहयोग और समर्थन से हमारा निरंतर विकास संभव हुआ है।

**इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड के**
**निदेशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से**

**ह/-**
**(पराग वर्मा)**
**अध्यक्ष**
**डीआईएन: 05272169**

**दिनांक: 07 अगस्त, 2023**
**स्थान: नई दिल्ली**

**अनुबंध-2**

**फार्म सं. एओसी-2**

*(अधिनियम के अनुच्छेद 134 के उप-अनुच्छेद (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम-8 (2) के अनुसरण में)*

**कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 188 के उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित अनुसार 01 अप्रैल 2022 से 31 मर्च 2023 तक की अवधि के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं तथा इसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत निश्चित आर्मस लैंथ संव्यवहारों के विवरण के प्रकटन के लिए फार्म**

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं है: **शून्य**
2. सामग्री अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विस्तृत आधार पर विवरण: **निम्नानुसार**

| **क्र.सं.** | **संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति** | **संविदा/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की अवधि** | **मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा/व्यवस्थाओं/ संव्यवहारों की प्रमुख शर्तें** | **बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हो:** | **अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ईपीसी करार** (इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को एनएच-352डब्ल्यू के गुड़गांव-पटौदी-रेवाड़ी खंड को किमी 43.87 (डिजाइन लंबाई 46.11 किमी) से अपग्रेड करने की परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए ईपीसी संविदाकार के रूप में नियुक्त करने हेतु। | अनुमानित अवधि: 24 महीने (ईपीसी संविदाकार द्वारा निर्माण हेतु अवधि) | यह संविदा इरकॉन को 12 प्रतिशत की जीएसटी दर सहित 606.54 करोड़ रूपए मूल्य हेतु अवार्ड की गई है। | तीसरी बोर्ड बैठक 26 फरवरी 2021 को हुई। | शून्य (आज की तिथि को) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **पट्टा करार**<br><br>(इरकॉन के कार्यालय परिसरों को पट्टे पर लेने हेतु) | (25 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2023) | पट्टा करार दिनांक 18 फरवरी 2021 को 31,171/-रूपए प्रतिमाह जमा जीएसटी की दर से निष्पादित किया गया है। | प्रथम बोर्ड बैठक दिनांक 28 दिसंबर, 2020 को आयोजित की गई। | शून्य<br>(आज की तिथि को) |

**टिप्पणी**:

उपर्युक्त लेनदेन के अलावा, इरकॉन (होल्डिंग कंपनी) ने अपने कर्मचारी अर्थात मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी सचिव को इरकॉनजीआरएचएल में प्रतिनियुक्त किया है और ऐसे प्रतिनियुक्त अधिकारियों को वेतन, लाभ (जैसे पीएफ, जीआईएस, सोसायटी कटौती, संबंधित भुगतान आदि) और अन्य विविध प्रकृति के व्यय, जैसे यात्रा/टिकट लागत आदि का भुगतान, वास्तविक लागत के आधार पर इरकॉन की नीति के अनुसार किया जाता है।

**इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड के**
**निदेशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से**

**ह/-**
**(पराग वर्मा)**
**अध्यक्ष**
**डीआईएन: 05272169**

**दिनांक: 01 अगस्त, 2023**
**स्थान: नई दिल्ली**

Rajan Malik & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS

# स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट

**सदस्य,**
**इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग लिमिटेड**

**वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट**

**मत**

हमने इरकॉन गुड़गांव रेवारी हाईवे लिमिटेड ("कंपनी") के इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2023 को तुलनपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों के नोट, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को अपेक्षित रूप में प्रस्तुत किया गया है और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण, संशोधित ("इंड एएस") और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांत, के अनुसार 31 मार्च, 2023 को कंपनी के मामलों की स्थिति, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ और कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह को प्रस्तुत किया गया है।

**मत का आधार**

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड के लेखापरीक्षक के उत्तररदायित्व में उल्लिखित है। हम, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रति संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र है और हमने नैतिक संहिता और इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे मत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त और उचित हैं।

**वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना**

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट सहित अनुलग्नक से बोर्ड की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासनों को निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर उल्लिखित अन्य जानकारी को पढ़ना है, जब वे उपलब्ध हो जाएं और ऐसा करते समय, विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण दुर्विवरण हुआ है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

**प्रमुख लेखापरीक्षा मामले**

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था।

लेखापरीक्षा के मानक-701 के पैरा-5 के अनुसार "स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की सूचना देना" मुख्य लेखापरीक्षा मामले की रिपोर्टिंग गैर-सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू नहीं होती है, इसलिए इसकी रिपोर्ट नहीं की जाती है।

**वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी लोगों के उत्तरदायित्व**

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल, अधिनियम के अनुच्छेद-133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय कार्यों, लाभ और लाभ हानि, इक्विटी और रोकड़ प्रवाह परिवर्तन के

संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने, उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करना है और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम  के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन गोइंग कंसर्न, प्रकटन, यथा अपेक्षित, गोइंग कंसर्न संबंधी मुद्दों और लेखांकन के गोंइंग कंसर्न के प्रयोग के साथ जारी रहने की कंपनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करना चाहती है या प्रचालन बंद करना चाहती है, या उसा करने के अतिरिक्त उसके पास को वास्तविक विकल्प है।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

**<u>वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व</u>**

हमारा उद्देश्य इस संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि से मुक्त हैं। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन नीति के अनुसार किया गया लेखपरीक्षा सदैव तथ्यात्मक दुर्विवरण को खोज लेता है, जब वह विद्यमान हो। जालसाजी या त्रुटि से उत्पन्न होने वाले दुर्विवरण को तब महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप में या समग्र रूप में वे युक्तिसंगत स्तर पर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हों।
लेखांकन मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और बिना लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी कर रहे हैं:

- वित्तीय विवरणों के तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों की पहचान और आंकलन करते हैं, कि क्या वे जालसाजी या त्रुटि या अभिकल्प के कारण है और लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं इन जोखिमों के प्रति प्रकियात्मक रूप से सक्रीय हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो

हमारे मत के लिए आधार प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं। जालसाजी के परिणामस्वरूप तथ्यात्मक दुर्विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, पुनर्विनियोजन या आंतरिक नियंत्रण से बचने वाली जालसाजियों के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक महत्वपूर्ण है।

- उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के उद्देश्य से लेखापरीक्षा के प्रति संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ को प्राप्त करना, जो उक्त परिस्थितियों में उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अपने इस मत को भी अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रणों के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटनों के संबंध में लेखांकन अनुमानों और प्रकटनों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के संबंधित आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाना कि घटनाओं और परिस्थितियों के संबंध में तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है, जो गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतर कार्यरत रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें उन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारे मत को संशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं और स्थितियां कंपनी के गोइंग कंसर्न के रूप में निरंतरता को बंद कर सकती है।
- प्रकटन सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन, और अवलोकन कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम अपने वक्तव्य के साथ शासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिनका हमने अनुपालन किया है यथा स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित रूप से सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

**अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 के उप-अनुच्छेद (11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') द्वारा यथापेक्षित, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण अनुलग्नक-क के रूप में दे रहे हैं।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) द्वारा यथापेक्षित हम उल्लेख करते हैं कि:

क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

ख) हमारे मतानुसार, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा बही खातों का उचित रखरखाव किया है जैसा बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र और लाभ-हानि का विवरण (अन्य लाभ हानि सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से अनुरक्षित बही खातों से मेल खाते हैं।

घ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पढे गये, अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463 (ई) के अनुसार लागू नहीं हैं।

च) कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और ऐसे नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में "अनुबंध-ख" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

छ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान, भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463 (ई) के अनुसार लागू नहीं हैं।

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2014 के नियम-11 के अनुसार, लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

I) कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है, जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रहा हो - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट सं. 25 का संदर्भ लें।

II) कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालिक संविदाएं नहीं हैं, जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण प्रत्याशित घाटे हुए थे।

III) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

IV) (क) प्रबंधन ने उल्लेख दिया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई धन उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई में, विदेशी संस्था (मध्यस्थों) सहित, इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगा या निवेश करेगा या कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से (अंतिम लाभार्थी) की पहचान की गई संस्थाएं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान नहीं करती हैं।

(ख) प्रबंधन ने उल्लेख किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या इकाई से विदेशी संस्था (फंडिंग पार्टियां) सहित कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इस तथ्य के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी (अंतिम लाभाथी) या वित्तपोषण पक्ष की ओर से या प्रदान करेगी, अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं दी है।

(ग) निष्पादित की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें उक्त परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड.) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण दुर्विवरण नहीं है।

(ड.) कंपनी ने इस वर्ष लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।

3. अधिनियम के अनुच्छेद 143(5) के अंतर्गत और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट करते हैं कि -

| **क्र.सं** | **विवरण** | **लेखापरीक्षा का उत्तर** |
|---|---|---|
| क. | क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया की प्रणाली विद्यमान है? यदि हां तो, वित्तीय परिणामों, यदि कोई हो, सहित लेखों की सत्यनिष्ठ पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखंकन संव्यवहारों की प्रक्रिया को क्रियान्वित किया या है, कृपया स्पष्ट करें। | जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, आय बिलिंग को छोड़कर आईटी सॉफ्टवेयर के बाहर ऐसा कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है, जिसके लिए कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं देखा गया था। |

| | | |
|---|---|---|
| ख. | क्या वहां कंपनी में देनदारों द्वारा मौजूदा ऋण या ऋणों/ब्याज आदि के छूट /बट्टे खाते के मामलों के पुन:निर्धारण का कोई मामला है, जो ऋण के भुगतान में कंपनी की अक्षमता के कारण हो? यदि हां तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू होता है)। | वर्ष के दौरान, कंपनी में देनदारों द्वारा मौजूदा ऋण या ऋणों/ब्याज आदि के छूट /बट्टे खाते के मामलों के पुन:निर्धारण का कोई मामला नहीं आया है। |
| ग. | क्या केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई निधियां प्राप्त/प्राप्य हैं जिनका उनका / उनकी शर्तों और निबंधनों के अनुसार लेखांकन/उपयोग किया गया है? विपथन के मामलों की सूची बताएं। | केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों की योजनाओं से कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त नहीं हुई है। |

**कृते राजन मलिक एंड कंपनी**
**सनदी लेखाकार**
**आईसीएआई फर्म सं. 019859एन**

**विजय कुमार चौरसिया**
**(साझेदार)**
**आईसीएआई सदस्यता संख्या - 521879**

**स्थान :** **नोएडा**
**दिनांक :** **12.05.2023**

**यूडीआईएन : 23521879BGTVVF1619**

**अनुबंध-क**

**"अन्य विधि और विनियामक अपेक्षाओं" पर हमारी रिपोर्ट के पैरा-1 में संदर्भित अनुबंध"**

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त संपत्ति नहीं है। इसलिए, खंड 3(I) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा, जैसा कि प्रबंधन ने स्पष्ट किया है, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत, किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. (क) रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, कंपनी के पास कोई दरसूची (इन्वेंट्री) नहीं है। इसलिए, खंड (ii)(क) लागू नहीं है।

(ख) कंपनी को वर्ष के दौरान, किसी भी समय कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। इसलिए, खंड (ii)(ख) लागू नहीं है।

iii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों को रक्षित या अरक्षित में, न तो निवेश किया है, न ही कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(क), 3(iii)(ख), 3(iii)(ग), 3(iii)(घ), 3(iii)(ड.) और 3(iii)(च) के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखाबहियों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-185 तथा 186 के तहत किसी भी पक्ष को कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी है। इसलिए, आदेश के खंड-iv के तहत रिपोर्टिंग, कंपनी पर लागू नहीं होती है।

v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और रिकॉर्डों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी ने जनता से जमा राशि के रूप में किसी भी डिपॉजिट या राशि को स्वीकार नहीं किया है और इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा-73 से 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम, कंपनी पर लागू नहीं हैं।

vi. प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, चूंकि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में टर्नओवर, कंपनी अधिनियम की धारा 148 में निर्धारित सीमा से कम है, इसलिए, कंपनी को लागत रिकार्डों के अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

क) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, माल और सेवाकर, भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क मूल्य संवर्धित कर, उपकर सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया, और किसी भी अन्य सांविधिक देय राशि को सामान्यत: उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई वैधानिक बकाया राशि देय नहीं था।

ख) कंपनी के रिकार्डों और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर और उपकर, जो भी लागू हो, के संबंध में कोई राशि देय नहीं है, जिसे किसी विवाद के कारण जमा न कराया गया हो।

vii. कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान लेखाबहियों में दर्ज नहीं किए गए किसी भी लेनदेन को आय के रूप में दर्शाया या प्रकटन नहीं किया है।

viii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान सावधि ऋण के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया है, जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की तुलन पत्र की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पकालिक आधार पर एकत्र की गई किसी भी निधि का प्रयोग, कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(ड.) कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम (जैसा कि अधिनियम के तहत परिभाषित है) में कोई निवेश नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3(ix)(ड.), लागू नहीं है।

(च) कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम (जैसा कि अधिनियम के तहत परिभाषित है) में कोई निवेश नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3(ix)(च) लागू नहीं है।

ix. क) कंपनी ने वर्ष के दौरान इनीशियल पब्लिक ऑफर या आगे प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेशक का खंड 3(x)(क), लागू नहीं है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई प्राथमिक आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(ख) लागू नहीं है।

x. (क) कंपनी की बहियों और रिकॉर्डों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत केन्द्रीय सरकार को कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में लेखापरीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है;

(ग) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

xi. यह कंपनी, कोई निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड-xii के उपखंड (क से ग) के तहत रिपोर्टिंग, कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xii. कंपनी के रिकार्डों और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-177 और धारा-188 के

अनुपालन में हैं, और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार यथापेक्षित वित्तीय विवरणों आदि में संबंधित ब्यौरे को प्रकट किया गया है।

xiii (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है।

(ख) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए अब तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है:

xiv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निर्देशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xv. (क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(क) लागू नहीं होता है।

(ख) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के बिना कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की है। इसलिए, आदेश की धारा 3(xvi)(ख) लागू नहीं है।

(ग) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी एक प्रमुख निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। इसलिए, आदेश की धारा 3(xvi)(ग) लागू नहीं है।

(घ) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास समूह के भाग के रूप में कोई सीआईसी नहीं है।

xvi. कंपनी को दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष या तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

xvii. वर्ष के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है

xviii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसंपत्तियों के उपयोग काल और प्रतिफल और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और हमारी जांच के आधार पर धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास होता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जबकभी तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर वे देय होंगे। हालाँकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा।

xix. हमारी जांच के आधार पर, धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(क) और 3(xx)(ख) लागू नहीं होते हैं।

xx. कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, यह खंड लागू नहीं है।

**कृते राजन मलिक एंड कंपनी**
**सनदी लेखाकार**
**आईसीएआई फर्म सं. 019859एन**

**विजय कुमार चौरसिया**
**(साझेदार)**
**आईसीएआई सदस्यता संख्या - 521879**

**स्थान :** **नोएडा**
**दिनांक :** **12.05.2023**
**यूडीआईएन :** **23521879BGTVVF1619**

**अनुबंध-ख**

**कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") के अनुच्छेद-143 के उप अनुच्छेद 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरित वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट**

हमने, दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2023 को **इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग लिमिटेड** ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं - कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और चूकों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रुप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन का अनुरक्षण शामिल हैं।

**लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानकों तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं - वित्तीय रिपोर्टिंग पर

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मोजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रुप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं

1. उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्योरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रुप से प्रदर्शित करता हैं।

2. युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निर्देशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं।
3. कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हैं।

**<u>वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सीमाएं</u>**

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, चूक और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रतिक्रिया के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

**मत**

हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2023 को सभी सामग्रीगत पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को अनुरक्षित किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

**कृते राजन मलिक एंड कंपनी**
**सनदी लेखाकार**
**आईसीएआई फर्म सं. 019859एन**

**विजय कुमार चौरसिया**
**(साझेदार)**
**आईसीएआई सदस्यता संख्या - 521879**

**स्थान :** **नोएडा**
**दिनांक :** **12.05.2023**
**यूडीआईएन :** **23521879BGTVVF1619**

## इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग लिमिटेड

**सीआईएन : U45309DL2020GOI374941**

**31 मार्च 2023 को तुलनपत्र**

*(सभी राशियां भारतीय लाख रूपए में हैं, जबतक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)*

| विवरण | नोट | 31 मार्च 2023 को | 31 मार्च 2022 को |
|---|---|---|---|
| **परिसंपत्तियां** | | | |
| **गैर चालू परिसंपत्तियां** | | | |
| (क) आस्थगित कर परिसपत्तियां (निवल) | 3 | 0.54 | 1.02 |
| (ख) अन्य गैर चालू परिसपत्तियां | 4 | - | 0.36 |
| | **कुल** | **0.54** | **1.38** |
| **चालू परिसंपतित्यां** | | | |
| (क) वित्तीय परिसिंपत्तियां | 5 | | |
| (i) व्यापार प्राप्य | 5.1 | 4,554.97 | - |
| (ii) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य | 5.2 | 948.39 | 112.62 |
| (iii) अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां | 5.3 | 8,248.73 | 2,480.46 |
| (ख) चालू कर परियंपत्तियां (निवल) | 6 | 118.90 | - |
| (ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां | 7 | 2,023.72 | 198.67 |
| | **कुल** | **15,894.71** | **2,791.75** |
| | **सकल योग** | **15,895.25** | **2,793.13** |
| **इक्विटी एवं देयताएं** | | | |
| **इक्विटी** | | | |
| (i) इक्विटी शेयर पूंजी | 8 | 5.00 | 5.00 |
| (ii) अन्य इक्विटी | | 7,502.27 | 1,834.94 |
| | **कुल** | **7,507.27** | **1,839.94** |
| **देयताएं** | | | |
| **(i) गैर चालू परिसंपत्तियां** | | | |
| (क) वित्तीय देयताए | | | |
| (i) ऋण | 9 | 0.20 | 0.20 |
| **(ii) चालू देयताएं** | | | |
| (क) वित्तीय देयताएं | 10 | | |
| (i) व्यापार प्राप्य | 10.1 | | |
| (क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया | | 0.15 | - |
| (ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से अन्य ऋणदाताओं का कुल बकाया | | 4,204.39 | 877.63 |
| (ii) अन्य चालू वित्तीय देयताएं | 10.2 | 577.28 | 0.04 |
| (ख) अन्य चालू देयताएं | 11 | 3,605.95 | 75.32 |
| | **कुल** | **8,387.98** | **953.19** |
| | **सकल योग** | **15,895.25** | **2,793.13** |

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार 2

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं 1-34

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग लिमिटेड

इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**कृते राजन मलिक एंड कंपनी**
**सनदी लेखाकार**
**आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 019859एन**

**मसूद अहमद नज़र**
**(निदेशक)**
**डीआईएन: 09008553**

**बी. मुगुंथन**
**(निदेशक)**
**डीआईएन: 08517013**

**विजय कुमार चौरसिया**
**साझेदार**
**आईसीएआई सदस्यता सं: 521879**
**स्थान : नोएडा**
**दिनांक: 12.05.2023**

**एलिन रॉय चौधरी**
**(मुख्य वित्त अधिकारी)**
**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक: 12.05.2023**

**दीपक कुमार गर्ग**
**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

**अंकित जैन**
**(कंपनी सचिव)**
**(सदस्यता सं. 35053)**

**इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग लिमिटेड**
**सीआईएन : U45309DL2020GOI374941**
**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण**
(सभी राशियां भारतीय लाख रूपए में हैं, जबतक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

| विवरण | नोट | 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु | 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु |
|---|---|---|---|
| **राजस्व :** | | | |
| प्रचालनों से राजस्व (निवल) | 12 | 15,748.37 | 2,467.52 |
| अन्य आय | 13 | 59.95 | - |
| | **कुल (क)** | **15,808.32** | **2,467.52** |
| **व्यय:** | | | |
| परियोजना व्यय | 14 | 14,953.23 | 2,442.24 |
| कर्मचारी लाभ व्यय | 15 | 107.56 | 18.31 |
| वित्तीय लागत | 16 | 245.30 | 0.23 |
| अन्य व्यय | 17 | 11.36 | 6.74 |
| | **कुल (ख)** | **15,317.44** | **2,467.52** |
| **कर पूर्व लाभ/(हानि)** | **(क-ख)** | **490.88** | - |
| कर व्यय | | | |
| 1) चालू कर | | | |
| -चालू वर्ष हेतु | | 123.07 | - |
| -पूर्ववर्ती वर्षों हेतु | | - | 1.08 |
| 2) आस्थगित कर | 3 | 0.48 | 0.03 |
| **वर्ष के लिए लाभ/(हानि)** | | **367.33** | **(1.11)** |
| **अन्य वृहत आय/(हानि)** | | | |
| क. i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | - | - |
| ii) आयकर मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | - | - |
| ख. i) मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुन:वर्गीकृत किया जाएगा | | - | - |
| ii) आयकर मदें जिन्हें लाभ और हानि में पुन:वर्गीकृत किया जाएगा | | | |
| **वर्ष के लिए अन्य वृहत आय/(हानि)** | | - | - |
| **वर्ष के लिए कुल वृहत आय/(हानि)** | | **367.33** | **(1.11)** |
| प्रति शेयर प्रति आमदनी | | | |
| **(i) मूल (रूपए में)** | 26 | **734.65** | **(2.21)** |
| **(ii) विलयित (रूपए में)** | | **734.65** | **(2.21)** |
| **प्रति शेयर अंकित मुल्य** | | **10.00** | **10.00** |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार | **2** | | |
| संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं। | **1-34** | | |

**हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग लिमिटेड

**कृते राजन मलिक एंड कंपनी**
**सनदी लेखाकार**
**आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 019859एन**

**मसूद अहमद नज़र**
**(निदेशक)**
**डीआईएन: 09008553**

**बी. मुगुंथन**
**(निदेशक)**
**डीआईएन: 08517013**

**विजय कुमार चौरसिया**
**साझेदार**
**आईसीएआई सदस्यता सं: 521879**

**एलिन रॉय चौधरी**
**मुख्य वित्त अधिकारी**

**दीपक कुमार गर्ग**
**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

**स्थान : नोएडा**
**दिनांक: 17.05.2022**

**अंकित जैन**
**(कंपनी सचिव)**
**(सदस्यता सं. 35053)**

**इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग लिमिटेड**
**सीआईएन : U45309DL2020GOI374941**
**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण**
(सभी राशियां भारतीय लाख रूपए में हैं, जबतक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु | 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु |
|---|---|---|
| **प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह** | | |
| **कर पूर्व लाभ** | 490.88 | - |
| **समायोजन :** | | |
| -मूल्यह्रास/ परिशोधन | | - |
| -ब्याज आय | (59.95) | - |
| -ब्याज व्यय | 245.30 | 0.23 |
| **कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनिक लाभ** | **676.23** | **0.23** |
| **कार्यशील पूंजी में संचलन** | | |
| **समायोजन :** | | |
| - व्यापार प्राप्य में वृद्धि/(कमी) | 3,326.91 | 864.22 |
| -अन्य चालू वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी) | 334.76 | 0.04 |
| - अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी) | 3,530.65 | 75.32 |
| - व्यापार प्राप्यों में कमी/(वृद्धि) | (4,554.97) | - |
| - चालू वित्तीय ऋणों में कमी/(वृद्धि) | | - |
| - चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि) | (118.90) | - |
| - अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार प्राप्य में | (5,762.26) | (2,467.53) |
| - अन्य परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि) | (1,825.05) | (198.55) |
| - अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि) | 0.36 | - |
| | **(4,392.26)** | **(1,726.27)** |
| घटा : प्रदत्त कर | 123.07 | 1.08 |
| **निवेश गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल रोकड (ख)** | **(4,515.34)** | **(1,727.35)** |
| **निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह** | | |
| - प्राप्त ब्याज | 53.93 | - |
| **निवेश गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल रोकड (ख)** | **53.93** | **-** |
| **वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह** | | |
| - धारित इक्विटी साधनों का इश्यु | 5,300.00 | 1,835.00 |
| - प्रदत्त ब्याज | (2.82) | (0.23) |
| - लिया गया /(पुनर्भुगतान) ऋण | - | 0.20 |
| **वित्तीय गतिविधियों से (में प्रयुक्त) निवल रोकड़ प्रवाह (ग)** | **5,297.18** | **1,834.97** |
| **रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में वृद्धि/(कमी) (क + ख +ग)** | 835.77 | 107.62 |
| - वर्ष के आरंभ में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य | 112.62 | 5.00 |
| **वर्ष के अंत में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य** | **948.39** | **112.62** |
| **रोकड़ और रोकड़ समतुल्य के घटक** | | |
| -उपलब्ध रोकड | - | - |
| चालू खाते में | 3.66 | 111.38 |
| -एस्क्रो खातों में* | 0.73 | 1.24 |
| फ्लैक्सी खाते में | 44.00 | |
| - 3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा में | 900.00 | |
| कुल नकद और नकद समकक्ष | **948.39** | **112.62** |

1) प्रकोष्ठ में राशि रोकड़ आउटफ्लो को दर्शाती है।
2) उपर्युक्त रोकड प्रवाह विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम,2015 के अंतर्गत इंड एएस-7 रोकड़ प्रवाह विवरण में निर्धारित प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत निर्धारित की गई है।
* एस्क्रो खाता मुख्य रूप से परियोजना में उपयोग के लिए रखी गई शेष राशि के कारण प्रतिबंधित है, जैसा कि कंपनी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दिनांक 20.01.2020 के साथ किए गए सेवा रियायत समझौते में आवश्यक है।

**हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग लिमिटेड

**कृते राजन मलिक एंड कंपनी**
**सनदी लेखाकार**
**आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 019859एन**

**मसूद अहमद नज़र**
**(निदेशक)**
**डीआईएन: 09008553**

**बी. मुगुंथन**
**(निदेशक)**
**डीआईएन: 08517013**

**विजय कुमार चौरसिया**
**साझेदार**
**आईसीएआई सदस्यता सं: 521879**

**एलिन रॉय चौधरी**
**मुख्य वित्त अधिकारी**

**दीपक कुमार गर्ग**
**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

**स्थान : नोएडा**
**दिनांक: 17.05.2022**

**अंकित जैन**
**(कंपनी सचिव)**
**(सदस्यता सं. 35053)**

इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग लिमिटेड

**सीआईएन : U45309DL2020GOI374941**

**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण**

(सभी राशियां भारतीय लाख रूपए में हैं, जबतक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

| **क. इक्विटी शेयर पूंजी** | | **31 मार्च 2023 को** | **31 मार्च 2022 को** |
|---|---|---|---|
| आरंभिक शेष | | 5.00 | 5.00 |
| जमा : इक्विटी शेयर पूंजी जारी करना | | - | - |
| घटा: वर्ष के दौरान रद्द किए गए इक्विटी शेयर | | - | - |
| **समापन शेष** | | **5.00** | **5.00** |
| **ख. अन्य इक्विटी** | | | |
| विवरण | आरक्षित निधि और अतिरेक<br>**प्रतिधारित आमदनी** | निर्धारित इक्विटी माध्यम* | कुल |
| **01 अप्रैल 2021 को शेष** | 1.05 | - | **1.05** |
| वर्ष के लिए कुल लाभ | (1.11) | - | **(1.11)** |
| वर्ष के लिए अन्य वृहत आय | - | - | - |
| **वर्ष के लिए कुल वृहत आय** | (1.11) | - | **(1.11)** |
| होल्डिंग कंपनी से ब्याज मुक्त ऋण* | - | 1,835.00 | **1,835.00** |
| **वर्ष के लिए कुल व्यापक आय** | **(1.11)** | **1,835.00** | **1,833.89** |
| **31 मार्च, 2022 तक** | **(0.06)** | **1,835.00** | **1,834.94** |
| **01 अप्रैल, 2022 तक** | **(0.06)** | **1,835.00** | **1,834.94** |
| वर्ष के लिए कुल लाभ | 367.33 | - | **367.33** |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय | - | - | - |
| **वर्ष के लिए कुल व्यापक आय** | 367.33 | - | **1,834.94** |
| होल्डिंग कंपनी से ब्याज मुक्त ऋण* | - | 5300.00 | **5,300.00** |
| **31 मार्च 2023 तक** | **367.27** | **7,135.00** | **7,502.27** |

**परियोजना के अंत में चुकाए जाने वाले नियोजित इक्विटी निवेश के बदले में होल्डिंग कंपनी से प्राप्त ब्याज मुक्त ऋण/अर्ध इक्विटी का प्रतिनिधित्व करता है और "इंड एएस 32: वित्तीय उपकरण: प्रस्तुति" के संदर्भ में इक्विटी उपकरणों के रूप में लेखांकित किया जाता है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार 2

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है। 1-34

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से
इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग लिमिटेड

**कृते राजन मलिक एंड कंपनी**
**सनदी लेखाकार**
**आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 019859एन**

**मसूद अहमद नज़र**
**(निदेशक)**
**डीआईएन: 09008553**

**बी. मुगुंथन**
**(निदेशक)**
**डीआईएन: 08517013**

**विजय कुमार चौरसिया**
**साझेदार**
**आईसीएआई सदस्यता सं: 521879**

**एलिन रॉय चौधरी**
**मुख्य वित्त अधिकारी**

**दीपक कुमार गर्ग**
**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

**स्थान : नोएडा**
**दिनांक: 17.05.2022**

**अंकित जैन**
**(कंपनी सचिव)**
**(सदस्यता सं. 35053)**

**इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हवेरी राजमार्ग लिमिटेड**
**सीआईएन : U45309DL2020GOI374941**
**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट**

## 1. कॉर्पोरेट सूचना

इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनजीआरएचएल) भारत में अधिवासित सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इरकॉन जीआरएचएल (सीआईएन यू45309डीएल2020जीओआई374941), भारत में लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित है। कंपनी उस समय अस्तित्व में आई, जब इरकॉन को भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर फीडर रूट के रूप में हरियाणा राज्य में ''भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा रियायत समझौते में नियमों और शर्तों के अनुसार एनएच–352 के गुड़गांव पटौदी–रेवाड़ी खंड के मिमी 0.00 से किमी 43.87 (डिजाइन लंबाई 46-11 किमी) के उन्नयन का काम सौंपा गया था। ''प्रस्ताव के लिए अनुरोध'' के प्रावधानों के अनुसार, चयनित बोलीदाता 'इरकॉन' ने इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में इरकॉन गुडगांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड नामक, एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को दिनांक 24.12.2020 को निगमित किया है। तदनुसार, इरकॉनजीआरएचएल ने 900 करोड़ रुपये के परियोजना मूल्य के लिए दिनांक 20.01.2021 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रियायत की अवधि 730 दिन है, जो एनएचएआई द्वारा अधिसूचित अनुसार नियत तिथि अर्थात 24.11.2021 है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 में स्थित है।

कंपनी की प्रस्तुतीकरण और क्रियात्मक मुद्रा भारतीय रूपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरण में आंकडों को दो दशमलव तक राउंड ऑफ करते हुए लाख रूपए में प्रस्तुत किया गया है केवल प्रति शेयर डॉटा और अन्यथा उल्लेख किया गया हो, को छोडकर।

कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा दिनांक 12.05.2023 को आयोजित अपनी बैठक में इन वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।

## 2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

### 2.1 तैयार करने का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची–।।।) की अनुसूची–।।। के भाग–।।, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अतिरिक्त है :–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

कंपनी के वित्तीय विवरण, भारतीय रुपये में दर्ज किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है और सभी मूल्य निकटतम लाख (भारतीय रूपए 00.000) तक होते हैं, सिवाय इसके कि अन्यथा संकेत दिया गया हो।

रोकड प्रवाह विवरण, इंडएएस 7–रोकड प्रवाह विवरण में यथानिर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत तैयार किया गया है।

### 2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण वित्तीय लेखांकन नीतियों का सार नीचे प्रस्तुत है। इन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को इस वित्तीय विवरण में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए निरंतर रूप से लागू किया गया है।

### 2.2.1 चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :

- सामान्य प्रचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए निर्धारित हो अथवा उपयोग किया जाना हो,
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है,
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बेची जानी संभावित हो, या
- यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो,
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है,
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

प्रचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए बारह माह निश्चित किए हैं।

## 2.2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

*पहचान एवं प्रारंभिक मापन*

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में शामिल है :

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल।

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं।

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं निर्धारित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।

ङ) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य फ्रीहोल्ड।

भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

अनुवर्ती मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्यह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापन, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

*मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल*

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

| विवरण | उपयोगी जीवनकाल (वर्ष) |
|---|---|
| भवन/फ्लैट आवासीय/ गैर–आवासीय | 60 |
| संयंत्र एवं मशीनरी | 8–15 |
| सर्वेक्षण उपकरण | 10 |
| कम्प्यूटर्स | 3–6 |
| कार्यालय उपकरण | 5 –10 |
| फर्नीचर एवं जुड़नार | 10 |
| कैरवान, कैम्प एवं अस्थाई शैड | 3–5 |
| वाहन | 8–10 |

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन/घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है। स्थायी पट्टे पर अधिग्रहित लीजहोल्ड भूमि का परिशोधन नहीं किया जाता है।

अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रूपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में किए गए उल्लेख के अनुसार ''सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।''

स्वीकृति समाप्ति

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा उसके निपटान से भविष्य में किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

### 2.2.3 प्रगतिरत पूंजीगत कार्य

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेशित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

### 2.2.4 निवेश परिसंपत्तियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

निवेश संपत्ति को उस समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव हो कि संपत्ति से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ, अब कंपनी को प्राप्त होंगे और संपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

निवेश संपत्ति में पूर्ण संपत्ति, निर्माणाधीन संपत्ति और पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति शामिल है, जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में बिक्री के लिए या उत्पादन या प्रशासनिक कार्यों में उपयोग के स्थान पर किराया अर्जित करने या पूंजी संवर्धन या दोनों के लिए रखी जाती है। निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है।

लागत, किसी संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के समय भुगतान की गई नकद या नकद समकक्ष राशि या किसी परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए दिए गए अन्य राशि का उचित मूल्य है या,

जहां लागू हो, अन्य इंड एएस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार आरंभ में पहचाने गई संपत्ति के लिए जिम्मेदार राशि है।

अनुवर्ती मापन और मूल्यह्रास

निवेश संपत्तियों को संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर निर्धारित किया जाता है। यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं तो बाद की लागत जोड़ी जाती है। कंपनी निर्माण की मूल खरीद के पूरा होने की तारीख से 60 वर्षों में सीधी रेखा के आधार पर निवेश संपत्ति के निर्माण घटक का मूल्यह्रास करती है। फ्रीहोल्ड भूमि और निर्माणाधीन संपत्ति का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है।

सतत पट्टे पर अर्जित लीजहोल्ड भूमि का परिशोधन नहीं किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में निवेश संपत्ति के अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

हालाँकि कंपनी लागत–आधारित माप का उपयोग करके निवेश संपत्ति को मापती है, निवेश संपत्ति का उचित मूल्य नोट में दर्शाया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल को लागू करने वाले एक मान्यता प्राप्त बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है।

स्वीकृति समाप्ति

निवेश संपत्तियों की मान्यता की स्वीकृति उस समय समाप्त कर दी जाती है, जब या तो उनका निपटान कर दिया जाता है या जब उन्हें स्थायी रूप से उपयोग से हटा दिया जाता है और उनके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। शुद्ध निपटान आय, यदि कोई हो, और संपत्ति की वहन राशि के बीच का अंतर मान्यता रद्द करने की अवधि में लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

## 2.2.5 अमूर्त परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पतियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियों, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आंशिक उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण ''विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां'' के रूप में किया गया है।

अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए संचित परिशोधन एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, को कम करके उनकी लागत का वहन किया जाता है। प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

पूंजीगत साफ्टवेयर का परिशोधन अधिग्रहण किए जाने की तिथि से 36 माह में किया जाता है।

अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन/घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से/निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।

परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

स्वीकृति समाप्ति

अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके

निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

### 2.2.6 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन कर पूर्व छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख के अतिरिक्त परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली गई अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली गई अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न

ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन राशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

### 2.2.7 मालसूचियां

मालसूचियों (स्क्रैप सहित) का मूल्यांकन उनकी न्यून लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है। लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।

निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।

नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा  व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा  के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यांकन किया गया है।

नो कास्ट प्लस संविदा, जिनमें संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, के अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती होती है, का मूल्यांकन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।

अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

### 2.2.8 राजस्व स्वीकृति

**ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को उस समय मान्यता दी जाती है, जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो कंपनी के अनुसार उन वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के लिए प्राप्त की जाने वाली राशि होती है।**

**कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार करती है, जिस स्तर तक उसके पास निर्माण सेवाओं और संचालन और रखरखाव सेवाओं के लिए अनुदानकर्ता ("एनएचएआई") से या**

उसके निर्देश पर नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का बिना शर्त संविदात्मक अधिकार है।

ऐसी वित्तीय संपत्तियों को आरंभिक स्तर पर उचित मूल्य पर अर्थात वर्तमान मूल्य पर और तत्पश्चात प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इस पद्धति के तहत, वित्तपोषण तत्व के लिए वित्तीय संपत्ति को बढ़ाया जाएगा और अनुदानकर्ता से धन प्राप्त होने पर कम किया जाएगा।

कंपनी इंड एएस -115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" के अनुसार निर्माण और संचालन और रखरखाव सेवाओं से राजस्व को पहचानती और मापती है।

कंपनी एक ही क्लाइंट के साथ एक ही समय में या उसके आस-पास दर्ज किए गए दो या अधिक अनुबंधों में प्रवेश करती है और यदि अनुबंधों को एक ही वाणिज्यिक उद्देश्य या अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि के साथ पैकेज के रूप में बातचीत की जाती है तो अनुबंध की कीमत अन्य संविदा या वस्तुआं या सेवाओं के मूल्य या निष्पादन पर निर्भर संविदा में एकल निष्पादन दायित्व के रूप में होगा।
संव्यवहार मूल्य (इसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है) वह मूल्य है जो सेवाओं के प्रावधान के लिए क्लाइंट के साथ अनुबंधित रूप से सहमत है। राजस्व को संव्यवहार मूल्य पर मापा जाता है, जिसे निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है और इसमें तीसरे पक्ष अर्थात जीएसटी की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं होती है और इसे परिवर्तनीय विचारों के लिए समायोजित किया जाता है।

कंपनी के अनुबंध की प्रकृति कई प्रकार के परिवर्तनशील प्रतिफलों को उत्पन्न करती है जिसमें वृद्धि और परिसमापन क्षति शामिल है।

संव्यवहार मूल्य में किसी भी भावी परिवर्तन को अनुबंध में निष्पादन दायित्वों के लिए उसी आधार पर आवंटित किया जाता है जैसे अनुबंध की आरंभ में किया गया है।

कंपनी परिवर्तनीय प्रतिफल के लिए राजस्व को स्वीकार करती है, जब यह संभव है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। कंपनी सबसे संभावित राशि पद्धति का उपयोग करके परिवर्तनीय विचार पर राजस्व की राशि का अनुमान लगाती है।

इसके परिणामस्वरूप, एक संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में, या राजस्व में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में संव्यवहार मूल्य में परिवर्तित किया जाता है।

कंपनी निष्पादन दायित्व को पूरा करती है और राजस्व ओवरटाइम को पहचानती है, यदि निम्न में से कोई भी मानदंड पूरा होता है:

क) इकाई द्वारा निष्पादन किए जाने पर कंपनी क्लाइंट के साथ निष्पादन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और उनका प्रयोग करता है।

ख) इकाई का निष्पादन संपत्ति निर्माण या संवर्धन करती है (उदाहरण के लिए, कार्य प्रगति पर है), जिसे क्लाइंट निर्मित या नियंत्रित करता है।

ग) इकाई का निष्पादन, इकाई के वैकल्पिक उपयोग के साथ एक परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता है और इकाई के पास आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन के लिए भुगतान का एक लागू करने योग्य अधिकार होताहै।

समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए, निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में, प्रतिशत पूर्णता पद्धति का उपयोग करके, प्रगति को मापकर राजस्व की पहचान की जाती है। प्रगति को निष्पादन दायित्व के कारण, कुल अनुमानित लागत के लिए, अब तक की गई वास्तविक लागत के अनुपात के रूप में मापा जाता है। हालांकि, जहां कंपनी एक निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से मापने में सक्षम नहीं है, लेकिन कंपनी निष्पादन दायित्व को पूरा करने में व्यय की गई लागतों की वसूली की आशा करती है, कंपनी राजस्व को केवल तब तक खर्च की गई लागतों की सीमा तक स्वीकार कर सकती है, जबतक कि यह निष्पादन दायित्व के परिणाम को यथोचित रूप से माप सके।

निष्पादन दायित्व को इनपुट पद्धति लागू करके मापा जाता है। अनुबंधों में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट पद्धति से नहीं मापा जा सकता है, वहां आउटपुट पद्धति लागू होती है, जो निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में कंपनी के निष्पादन को ईमानदारी से दर्शाती है।

अनुबंध संशोधनों का लेखांकन उस समय किया जाता है, जब अनुबंध के दायरे या अनुबंध मूल्य में परिवर्धन, विलोपन या परिवर्तन स्वीकृत होते हैं।

अनुबंधों के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर है। जोड़ी गई सेवाएं, जो अलग नहीं हैं को संचयी आधार पर लेखांकित किया जाता है, जबकि जो अलग हैं उन्हें संभावित रूप से, एक पृथक अनुबंध के रूप में लेखांकित किया जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर, या मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और एक नए अनुबंध के निर्माण के रूप में है, बिक्री मूल्य पर कीमत पर नहीं है।

**क**. संविदागत शेष

- अनुबंध की संपत्ति: अनुबंध संपत्ति एक अधिकार है जो क्लाइंट को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के विनिमय पर विचार करने का अधिकार देता है। यदि कंपनी क्लाइंट को

भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले, किसी क्लाइंट को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके निष्पादन करती है, तो अनुबंध परिसंपत्ति को अर्जित प्रतिफल के लिए मान्यता दी जाती है।

- व्यापार प्राप्य: व्यापार प्राप्य, उस राशि पर विचार करने का कंपनी का अधिकार है जो बिना शर्त है (अर्थात, निर्धारित भुगतान से पूर्व बहुत कम समय की आवश्यकता हाती है)।
- अनुबंध दायित्व: अनुबंध दायित्व, क्लाइंट को वस्तु या सेवाओं को हस्तांतरित करने का दायित्व है, जिसके लिए कंपनी ने क्लाइंट से प्रतिफल प्राप्त किया है (या प्रतिफल की राशि देय है)। यदि कोई क्लाइंट कंपनी द्वारा क्लाइंट को वस्तु या सेवाओं को हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने पर, या भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) एक अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत निष्पादन करती है तो अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

**ख. अन्य आय**

लाभांश आय को उस समय स्वीकार किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करके स्वीकार किया जाता है।

विविध आय को उस समय स्वीकार किया जाता है जब निष्पादन दायित्व संतुष्ट होते हैं और अनुबंध की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

### 2.2.9 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए अपेक्षित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

## 2.2.10 कर

### क) चालू आय कर

चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है। चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है और उनके संबंध में कम्पनी की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

### ख) आस्थगित कर

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों और देयताओं का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं के समंजन के लिए प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों के शेष समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

### 2.2.11 विदेशी मुद्रा

कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल वस्तुओं को प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है जिसमें समूह संचालित होता है (कार्यात्मक मुद्रा)। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो समूह की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा भी है।

**लेन–देन और शेष**

लेन–देन की तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके, विदेशी मुद्रा लेनदेन को कार्यात्मक मुद्रा में प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं को समापन दर (देनदारियों के लिए बिक्री दरों का समापन करना और परिसंपत्तियों के लिए खरीद दर का समापन करना) का उपयोग करके कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है, विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर–मौद्रिक वस्तुओं को

ऐतिहासिक लागत पर ले जाया जाता है। लेन–देन की तिथि पर विनिमय दर. मौद्रिक वस्तुओं के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, या रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार पुनर्कथन, उन दरों से भिन्न होते हैं जिन पर वे शुरू में दर्ज किए गए थे, उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाने जाते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। ये विनिमय अंतर शुद्ध आधार पर लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किए जाते हैं।

### 2.2.12 कर्मचारी लाभ

#### क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

#### ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

धारक कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए नियोजन पश्चात लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, धारक कंपनी के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है, और संविदागत कर्मचारियों को नियोजन पश्चात, कोई लाभ नहीं दिया जाता है।

### 2.2.13 नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में उपलब्ध नकद, बैंकों में रोकड और तीन महीनों या इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता वाली अल्पकालीन सावधि जमा राशियां जो ज्ञात रोकड राशि के लिए तत्काली नकदीकृत की जा सकती है और जो मूल्य में परिवर्तन के गैर महत्वपूर्ण स्तर के अध्याधीन हो।

रोकड प्रवाह विवरण के प्रयोजन हेतु, रोकड और रोकड समतुल्य में अप्रतिबंधित रोकड और अल्पकालीन जमा राशियां शामिल हैं, जैसा कि उपर परिभाषित किया गया है, क्योंकि ये कंपनी के रोकड प्रबंधन का अभिन्न अंग समझा जाता है।

## 2.2.14 लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसमें लाभांश शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। किसी भी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है। लाभांश वितरण पर देय लाभांश और संगत कर सीधे इक्विटी में स्वीकृत होता है।

## 2.2.15 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

### क) प्रावधान

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बहिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

यदि धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है, तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली, जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रावधानों में अनुरक्षण, विमुद्रीकरण, डिजाइन गारंटी, कानूनी मामले, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), दुर्वह संविदाएं और अन्य के प्रावधान शामिल हैं।

### ख) दुर्वह संविदाएं

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं, जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली

परिसंपत्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

**ग) आकस्मिक देयताएं**

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिप्रवाह अपेक्षित होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बहिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

**घ) आकस्मिक परिसम्पतियां**

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

**2.2.16 पट्टे**

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

**पट्टेदार के रूप में कम्पनी**

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यूनतम मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा

दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

### (i) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

कम्पनी उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता की राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में कम्पनी को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यह्रास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां अक्षमता की शर्त पर भी होती है।

### (ii) पट्टा दायित्व

कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी

सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

### (iii) अल्पकालिक पट्टे तथा निम्न मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यूनतम मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यूनतम मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यूनतम मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

### क) पट्टाकार के रूप में कम्पनी

वे पट्टे जिनमें कम्पनी मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है। प्रचालन

पट्टे के परक्रामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पति होने पर की गई है।

### 2.2.17 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं, जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

### क) वित्तीय परिसम्पतियां

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- **परिशोधन लागत पर नामे उपकरण**

  निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर 'ऋण उपकरण' का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता हैं:

  क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

  ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज (SPPI) का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

- **एफवीटीओसीआई पर ऋण उपकरण**

  निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर 'ऋण उपकरण' का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है :

  क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

  ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

- **एफवीटीपीएल पर ऋण उपकरण**

एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

- **<u>इक्विटी उपकरण</u>**

इंड एएस–109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरण एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण–वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

<u>वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता</u>

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशित इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यूनतम किए गए हैं।

इंड एएस–109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया है:

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, ऋण प्रतिभूतियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस–116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य।

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस–115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए ''सरल दृष्टिकोण' का अनुसरण किया गया है:

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइफ ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति ''अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया है:–

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं

पट्टा प्राप्यः ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।

- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।
- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर ''संचित परिशोधन राशि'' के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय / व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

वित्तीय परिसंपत्त्यिों को अमान्य करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) को केवल तभी अमान्य किया जाता है, जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों को और अंतत, संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभों को स्थानांतरित करता है।

लाभ और हानि के विवरण में अग्रणीत राशि और प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल की राशि के बीच का अंतर पहचाना जाता है।

**ख) वित्तीय देयताएं**

*प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन*

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

कम्पनी की वित्तीय देयतों में व्यापार एवं अन्य देयताएं, ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

*अनुवर्ती मापन*

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर हैः

- **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं**

  कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

- **परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं**

*ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं*

प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है। परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

*वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति*

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

**ग) वित्तीय गारंटी संविदाएं**

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस–109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा

भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

**घ) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण**

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के लिए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी–कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके प्रचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

**ड.) वित्तीय माध्यमों की ऑफसेटिंग**

स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

**2.2.18 उचित मूल्य मापन**

कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा

- उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में। उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर–वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तालमेल का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं:–

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तालमेल में अंतरण किए जाने के निर्धारण

(न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तालमेल के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

### 2.2.19 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री/वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

यदि इंड एएस–105 ''बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां'' के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन–(1)

बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा (2) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है। मूल्यह्रास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर–चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

### 2.2.20 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक/अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

### 2.2.21 प्रचालनिक सेगमेंट

प्रचालनिक सेगमेंट का लेखांकन मुख्य प्रचालनिक नीति निर्धारक को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप विधि में किया जाता है। तदनुसार, कंपनी ने एक रिपोर्टिंग खंड अर्थात घरेलू खंड की पहचान की है।

### 2.2.22 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय का निर्धारित करते समय, कंपनी इक्विटी शेयरधारकों के कारण शुद्ध लाभ पर विचार करती है। प्रति शेयर मूल आय के परिकलन में उपयोग किए गए शेयरों की संख्या, उक्त अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है। प्रति शेयर विलयित आय को अलग करने में, इक्विटी शेयरधारकों के कारण शुद्ध लाभ और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी विलयित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

### 2.2.19 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपूर्ण रूप से है, पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका अस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में महत्वपूर्ण समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

**क) ग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान**

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

**ख) निर्धारित लाभ योजनाएं**

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ दायित्व की लागत निर्धारित की जाती है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएं शामिल होती हैं, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और भविष्य की पेंशन वृद्धि शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलता

और इसकी लंबी अवधि की प्रकृति के कारण, एक विकृत लाभ दायित्व, इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। सभी अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक पुनर्निर्धारण तिथि पर की जाती है।

**ग) आकस्मिताएं**

कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी संबंधित जटिल विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

**घ) वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता**

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

**ड.) कर**

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

**च) गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता**

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

**छ) बिक्री के लिए धारित गैर चालू परिसंपत्तियां**

गैर चालू परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे बिक्री के लिए धारित किया गया है जब इसकी प्रतिधारण राशि को बिक्री संव्यवहार तथा के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से वसूली की जाए और बिक्री को अत्यधिक संभावित है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तब माना जाता है जब परिसंपत्ति निपटान समूह अपनी वर्तमान शर्तें पर तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह संभव नहीं है कि बिक्री को वापस लिया जाएगा और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर।

**ज) पट्टा– संवर्धात्मक ऋण दर का अनुमान**

कम्पनी पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दरों का निर्धारत तत्परता से नहीं कर सकती है, तदनुसार, कम्पनी द्वारा अपनी पट्टा देयताओं के मापन के लिए अपनी आवर्धित ऋण दर (आईबीआर) का उपयोग किया जाता है। आवर्धित ऋण दर वह ब्याज दर है जो कम्पनी को समान प्रकार की शर्तों पर, समान प्रकार की सुरक्षा के साथ, समान मूल्य पर परिसम्पति की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियों की प्राप्ति पर

समान आर्थिक परिवेश में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के लिए आवश्यक ऋण के प्रति भुगतान के लिए करने होते हैं।

**झ) नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में कम्पनी**

कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

**(ट) राजस्व स्वीकृति**

कंपनी की राजस्व मान्यता नीति इस बात का केंद्रित है कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किए गए कार्यों को कैसे महत्व देती है।

इन नीतियों के लिए अनुबंधों के परिणामों के पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कार्य के दायरे में परिवर्तन और दावों और विविधताओं पर किए जाने वाले आकलन और निर्णय की आवश्यकता होती है।

कई लंबी अवधि की और जटिल परियोजनाएं हैं, जहां कंपनी ने संविदात्मक अधिकारों पर महत्वपूर्ण निर्णय शामिल किए हैं। संभावित परिणामों की श्रेणी के आधार पर अंतर्निहित लाभप्रदता और नकदी प्रवाह में भौतिक रूप से सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन हो सकता है।

अनुमोनों की आवश्यकता संविदा के निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में भी होती है।

- समापन के स्तर का निर्धारण
- परियोजना समापन तिथि का अनुमान

- भावी हानियों हेतु प्रावधान
- विभिन्न दावों और अंतरों सहित समापन पर अनुमानित कुल राजस्व और अनुमानित कुल लागत।

इनकी समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और चालू सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए इनमें समायोजन किया जाता है।

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध क्रियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

**3 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)**

**लाभ और हानि लेखे में स्वीकृत आय कर**

**(क) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय कर व्यय के प्रमुख घटक हैं:**

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| **चालू कर** | | |
| क) चालपू आयकर | 123.07 | - |
| ख) पिछले वर्ष के चालू कर के संबंध में समायोजन | - | 1.08 |
| **आस्थगित कर** | | |
| क) चालू वर्ष उत्पत्ति और अस्थायी अंतर का व्युत्क्रम के संबंध में | 0.48 | 0.03 |
| **वर्ष के दौरान स्वीकृत आय कर व्यय** | **123.56** | **1.11** |

**ख) लाभ या हानि में प्रस्तुत किए गए आयकर व्यय के लिए कर दर पर अनुमानित आयकर व्यय का मिलान इस प्रकार है::**

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| कर पूर्व लेखांकन लाभ/(हानि) | 490.88 | - |
| आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर की दर | 25.17% | 25.17% |
| लेखांकन लाभ पर कर | 123.55 | - |
| कर समायोजन पर प्रभाव: | | |
| पूर्व अवधि से संबंधित आयकर व्यय | - | 1.08 |
| आयकर अधिनियम 1961 के तहत अस्वीकृतियाँ | 0.03 | 0.06 |
| आगे घाटा लाया | (0.83) | - |
| निगमन-पूर्व व्यय | (1.07) | - |
| समय का अंतर | (1.87) | 0.06 |
| समय के अंतर पर कर का प्रभा | (0.48) | (0.03) |
| | 123.07 | 1.11 |
| **लाभ और हानि के विवरण में आयकर व्यय की सूचना दी गई** | **123.07** | **1.11** |
| **प्रभावी कर दर** | 25.17% | 25.17% |

**ग) तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते में आस्थगित कर परिसंपत्तियों और (देनदारियों) का घटक - 31 मार्च 2023**

| विवरण | तुलन पत्र 31 मार्च 2023 | लाभ और हानि विवरण 31 मार्च 2023 |
|---|---|---|
| निगमन-पूर्व व्यय | 0.54 | 0.27 |
| आयकर अधिनियम, 1961 के तहत करयोग्य हानियों का अग्रेषण | - | 0.21 |
| **आस्थगित कर** | **0.54** | **0.48** |

**ग) तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते में आस्थगित कर परिसंपत्तियों और (देनदारियों) का घटक - 31 मार्च 2023**

| विवरण | तुलन पत्र 31 मार्च 2022 | लाभ और हानि विवरण 31 मार्च 2022 |
|---|---|---|
| निगमन-पूर्व व्यय | 0.81 | 0.24 |
| | 0.21 | (0.21) |
| आयकर अधिनियम, 1961 के तहत करयोग्य हानियों का अग्रेषण | | |
| **आस्थगित कर** | **1.02** | **0.03** |

**घ) 31 मार्च 2023 तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों का समाधान:**

| विवरण | 1 अप्रैल 2022 को शेष | लाभ और हानि विवरण में स्वीकृति | 31 मार्च 2023 को शेष |
|---|---|---|---|
| निगमन-पूर्व व्यय | 0.81 | 0.27 | 0.54 |
| करयोग्य हानियों का अग्रेषण | 0.21 | 0.21 | - |
| **कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां** | **1.02** | **0.48** | **0.54** |

**31 मार्च 2022 तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों का समाधान:**

| विवरण | 1 अप्रैल 2021 को शेष | लाभ और हानि विवरण में स्वीकृति | 31 मार्च 2022 को शेष |
|---|---|---|---|
| निगमन-पूर्व व्यय | 1.05 | 0.24 | 0.81 |
| करयोग्य हानियों का अग्रेषण | - | (0.21) | 0.21 |
| **कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां** | **1.05** | **0.03** | **1.02** |

**ड;) आस्थगित कर का परिसंपत्तियों और देनदारियों में विभाजन**

| विवरण | 31 मार्च 2023 को | 31 मार्च 2022 को |
|---|---|---|
| आस्थगित कर परिसंपत्तियां | 0.54 | 1.02 |
| विलंबित कर उत्तरदायित्व | - | - |
| | **0.54** | **1.02** |

**4 अन्य गैर - चालू परिसंपत्ति**

| विवरण | 31 मार्च 2023 को | 31 मार्च 2022 को |
|---|---|---|
| **अन्य** | | |
| प्रदत्त व्यय | - | **0.36** |
| कुल | - | **0.36** |

**5 चालू परिसंपत्तियां - वित्तीय परिसंपत्तियां**

**5.1 व्यापार प्राप्य**

| विवरण | 31 मार्च 2023 को | 31 मार्च 2022 को |
|---|---|---|
| क. वसूली योग्य व्यापार प्राप्य - रक्षित ; | - | - |
| ग. वसूली योग्य व्यापार प्राप्य - अरक्षित ; | 4,554.97 | |
| ग. व्यापार प्राप्य जिनसे ऋण जोखिमों में व्यापक वृद्धि है, और | - | - |
| घ. व्यापार प्राप्य - ऋण हानियां | - | - |
| कुल | **4,554.97** | - |

उपरोक्त आंकड़ों में कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी एक द्वारा अलग से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण या क्रमशः फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण शामिल नहीं हैं, जिसमें कोई भी निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य है, उसका उल्लेख अलग से होना चाहिए।

**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार प्राप्य अवधि संवर्धन अनुसूची**

| व्यापार प्राप्य | बिना बिल | अदेय | "भुगतान की नियत तारीख से 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया" | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6 माह से कम | 6 माह - 1 वर्ष | 1-2 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| (i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - वसूली योग्य | - | - | 4,103.68 | 451.29 | - | - | **4,554.97** |
| (ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है | - | - | - | - | - | - | - |
| (iii) अर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण हानि | - | - | - | - | - | - | - |
| (iii) विवादित व्यापार प्राप्तियां वसूली योग्य | - | - | - | - | - | - | - |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्य राशियाँ - जिनका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई | - | - | - | - | - | - | - |
| (vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि | - | - | - | - | - | - | - |

**5.2 रोकड और रोकड समतुल्य**

| विवरण | 31 मार्च 2023 को | 31 मार्च 2022 को |
|---|---|---|
| बैंकों में शेष | | |
| चालू खाता | 3.66 | 1.24 |
| एस्क्रो खाता* | 0.73 | 111.38 |
| अन्य | | |
| फ्लैक्सी खाता | 44.00 | - |
| तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा | 900.00 | - |
| कुल | **948.39** | **112.62** |

* एस्क्रो खाता मुख्य रूप से परियोजना में उपयोग के लिए रखी गई शेष राशि के कारण प्रतिबंधित है, जैसा कि कंपनी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिनांक 20.01.2020 को किए गए सेवा रियायत समझौते में आवश्यक है।

**5.3 अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

| विवरण | 31 मार्च 2023 को | 31 मार्च 2022 को |
|---|---|---|
| **अन्यों को** | | |
| **अनुबंध संपत्ति** | | |
| बिल योग्य राजस्व लेकिन देय नहीं | 1,182.21 | 2,480.46 |
| निर्माण कार्य प्रगति पर (वसूली योग्य मूल्य पर) | 6,047.50 | - |
| ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं | 6.01 | - |
| ग्राहक द्वारा रोकी गई प्रतिधारण राशि | 1,013.01 | - |
| कुल | **8,248.73** | **2,480.46** |

**6 चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)**

| विवरण | 31 मार्च 2023 को | 31 मार्च 2022 को |
|---|---|---|
| अग्रिम कर (कर हेतु प्रावधान का निवली) | 118.90 | - |
| कुल | **118.90** | **-** |

**7 अन्य चालू परिसंपत्तियां**

| विवरण | 31 मार्च 2023 को | 31 मार्च 2022 को |
|---|---|---|
| राजस्व अधिकारियों के साथ संतुलन | | |
| -वस्तु एवं सेवा कर (निवल)* | 1,987.54 | 189.88 |
| पूर्व प्रदत्त व्यय | 36.09 | 8.79 |
| स्टाफ़ ऋण एवं अग्रिम | 0.09 | - |
| कुल | **2,023.72** | **198.67** |

**एनएचएआई से प्राप्त अग्रिम पर भुगतान किया गया 361.61 लाख रुपये का वस्तु और सेवा कर शामिल है।

**8 शेयर पूंजी**

| विवरण | 31 मार्च 2023 को | 31 मार्च 2022 को |
|---|---|---|
| **अधिकृत शेयर पूंजी** | | |
| 10/- रुपये प्रत्येक के 40,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2022 तक 10/- प्रत्येक के 40,00,000 इक्विटी शेयर) | 400.00 | 400.00 |
| **जारी किए गए, सब्सक्राइब किए गए और पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयर** | | |
| प्रत्येक 10/- रुपये के 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2022 तक 10/- प्रत्येक के 50,000 इक्विटी शेयर) | 5.00 | 5.00 |
| **कुल जारी, सब्सक्राइब और पूरी तरह से भुगतान की गई शेयर पूंजी** | **5.00** | **5.00** |

**(क) रिपोर्टिंग वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों का समाधान**
**सामान्य शेयर**

| विवरण | शेयरों की संख्या | | राशि रूपए में | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2023 को | 31 मार्च 2022 को | 31 मार्च 2023 को | 31 मार्च 2022 को |
| वर्ष की शुरुआत में | 50,000 | 50,000 | 5.00 | 5.00 |
| वर्ष के दौरान जारी किया गया | - | - | - | - |
| **वर्ष के अंत में उत्कृष्ट** | **50,000** | **50,000** | **5.00** | **5.00** |

**(ख) इक्विटी शेयरों के साथ संबद्ध शर्तें/अधिकार**
**"(i) मतदान**
**कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका सममूल्य 10 प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।**
**(ii) परिसमापन**
**कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।**
**(iii) लाभांश**
**निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।"**

**(ग) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण:**

| विवरण | शेयरों की संख्या | | श्रेणी में प्रतिशत धारिता | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2023 को | 31 मार्च 2022 को | 31 मार्च 2023 को | 31 मार्च 2022 को |
| **10 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर पूर्ण भुगतान** | | | | |
| इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड | 50,000* | 50,000* | 100% | 100% |

*होल्डिंग कंपनी की ओर से नामांकित शेयरधारकों द्वारा रखे गए 600 इक्विटी शेयर शामिल हैं।
कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, शेयरधारकों/सदस्यों के रजिस्टर और लाभकारी हित के संबंध में शेयरधारकों से प्राप्त अन्य घोषणाओं सहित, उपरोक्त शेयरधारिता शेयरों के कानूनी स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती है।

(घ) होल्डिंग कंपनी मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी है, जिसके पास कंपनी का 100% इक्विटी शेयर है।

(ड.) शेयरों की बिक्री/विनिवेश के लिए विकल्पों और अनुबंधों/प्रतिबद्धताओं के तहत जारी करने के लिए कोई शेयर आरक्षित नहीं किया गया है।

(च) तुलन पत्र तैयार कराने की तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के लिए:
(क) नकद में भुगतान प्राप्त किए बिना अनुबंध के अनुसार पूर्ण भुगतान के रूप में कोई भी शेयर आवंटित नहीं किया गया है।
(ख) बोनस शेयरों के माध्यम से पूर्ण भुगतान के रूप में कोई शेयर आवंटित नहीं किया गया है और,
(ग) खरीदा गया कोई भी शेयर वापस नहीं आया है।

**(छ) प्रमोटरों की शेयरधारिता का प्रकटन**

| प्रमोटर का नाम | 31 मार्च 2023 को | | 31 मार्च 2022 को | | वर्ष के दौरान |
|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कुल शेयरों का % | प्रतिशत परिवर्तन |
| इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड | 50,000 | 100% | 50,000 | 100% | - |

**9 गैर-वर्तमान वित्तीय देनदारियाँ**

| विवरण | 31 मार्च 2023 को | 31 मार्च 2022 को |
|---|---|---|
| **बैंकों से सावधि ऋण** | | |
| **सुरक्षित** | | |
| इंडियन ओवरसीज बैंक से सावधि ऋण* | 0.20 | 0.20 |
| **कुल** | **0.20** | **0.20** |

* रिपोर्टिंग तिथि तक सावधि ऋण या उसके ब्याज की अदायगी में कोई चूक नहीं हुई है। इसके अलावा, कंपनी ने ऋण मंजूरी के तहत और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ अपनी संपत्ति पर शुल्क पंजीकृत किया है। साथ ही कंपनियों को संपत्ति के किसी भी त्रैमासिक रिटर्न / विवरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी आवश्यकता बैंकों को नहीं थी।

स्वीकृत राशि:-इंडियन ओवरसीज बैंक से 12.05.2021 को प्राप्त स्वीकृत पत्र से प्रभावी; परियोजना के लिए स्वीकृत सीमा रु. 309.68 (करोड़ में) लेकिन उपरोक्त राशि रु. (0.20) करोड़ रूपये स्वीकृत राशि से वितरित किये गये।

पुनर्भुगतान की शर्तें: ऋण 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 10.5 वर्षों में 21 संरचित अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है और अंतिम किस्त 31 दिसंबर 2034 को निर्धारित है।

ब्याज दर: ब्याज दर एक महीने के एमसीएलआर (6.85%) +0.15% संवितरित होगी अर्थात 7.00% प्रति वर्ष, जो एमसीएलआर के आधार पर परिवर्तन के अधीन होगी।

"प्रतिभूति का विवरण:

1) सावधि ऋण होल्डिंग कंपनी मेसर्स इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय कॉर्पोरेट गारंटी द्वारा समर्थित है।

2) ऋण को और अधिक सुरक्षित किया जाता है

क) कंपनी की सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/चल संपत्ति के बंधक के माध्यम से विशेष शुल्क

बी) परियोजना के बही ऋण, परिचालन नकदी प्रवाह, प्राप्य, कमीशन, किसी भी प्रकृति के राजस्व और जहां भी उत्पन्न हो, वर्तमान और भविष्य के अमूर्त, सद्भावना, अनकही पूंजी (वर्तमान और भविष्य) पर विशेष शुल्क;

ग) परियोजना के बैंक खाते पर विशेष शुल्क, जिसमें एस्क्रो खाता भी शामिल है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है, जहां परियोजना से सभी नकदी प्रवाह जमा किए जाएंगे और सभी आय का उपयोग बैंक/निवेशकों द्वारा तय किए गए तरीके और प्राथमिकता के अनुसार किया जाएगा।

घ) परियोजना से संबंधित सभी समझौतों के तहत कंपनी के सभी अधिकारों और हितों का असाइनमेंट, ऋण पत्र (यदि कोई हो), और ऋणदाता के पक्ष में परियोजना से संबंधित किसी

**10 वर्तमान देनदारियाँ - वित्तीय देनदारियाँ**

**10.1 व्यापार देनदारियां**

| विवरण | | 31 मार्च 2023 को | 31 मार्च 2022 को |
|---|---|---|---|
| सक्ष्म एवं लघ उद्यमों का कल बकाया* | | 0.15 | - |
| सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया | | | |
| i) ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता | | 70.53 | 843.11 |
| ii) संबंधित पक्ष | | 4,133.85 | 34.52 |
| | कुल | **4,204.54** | **877.63** |

***एमएसएमई प्रकटन के लिए नोट 29 देखें**

**दिनांक 31 मार्च 2023 तक व्यापार-वार आयु अनुसूची**

| विवरण | बिना बिल | अदेय | 1 वर्ष से कम | 1 - 2 वर्ष | 2 - 3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एमएसएमई | - | - | 0.15 | - | - | - | 0.15 |
| अन्य | - | - | 4,204.39 | - | - | - | 4,204.39 |
| विवादित बकाया एमएसएमई | - | - | - | - | - | - | - |
| विवादित बकाया - अन्य | - | - | - | - | - | - | - |

**दिनांक 31 मार्च 2022 तक व्यापार देय-वार अनुसूची**

| विवरण | बिना बिल | अदेय | 1 वर्ष से कम | 1 - 2 वर्ष | 2 - 3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एमएसएमई | - | - | - | - | - | - | - |
| अन्य | 836.59 | - | 41.04 | - | - | - | 877.63 |
| विवादित बकाया एमएसएमई | - | - | - | - | - | - | - |
| विवादित बकाया - अन्य | - | - | - | - | - | - | - |

**10.2 अन्य चालू वित्तीय देयताएं**

| विवरण | | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2022 |
|---|---|---|---|
| **संबंधित पक्षों के लिए** | | | |
| होल्डिंग कंपनी को देय प्रतिधारण धन | | 334.80 | - |
| **अन्यों हेतु** | | | |
| संसाधन जुटाने हेतु अग्रिम पर ब्याज | | 242.48 | - |
| अन्य देनदारियां | | - | 0.04 |
| | कुल | **577.28** | **0.04** |

**11 अन्य चालू देयताएं**

| विवरण | | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2022 |
|---|---|---|---|
| अन्यों हेतु | | | |
| वैधानिक बकाया देय | | | |
| -वस्तु एवं सेवा कर | | 0.02 | - |
| -कर्मचारी भविष्य निधि | | 0.04 | - |
| -स्रोतों पर कर कटौती | | 106.10 | 75.33 |
| अनुबंध दायित्व | | | |
| -ग्राहक से अग्रिम | | 3,375.00 | - |
| श्रमिक उपकर के प्रति प्रतिधारण राशि | | 124.79 | - |
| | कुल | **3,605.95** | **75.32** |

**12 परिचालन से राजस्व (शुद्ध)**

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु | 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु |
|---|---|---|
| संविदागत राजस्व | 15,748.37 | 2,467.52 |
| कुल | 15,748.37 | **2,467.52** |

13 **अन्य आय**

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु | 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु |
|---|---|---|
| ब्याज आय | 59.95 | - |
| **कुल** | **59.95** | **-** |

14 **परियोजना व्यय**

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु | 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु |
|---|---|---|
| निर्माण व्यय | 14,806.13 | 2,389.07 |
| बीमा व्यय | 50.97 | 16.15 |
| कानूनी और व्यावसायिक व्यय | 96.13 | 37.02 |
| **कुल** | **14,953.23** | **2,442.24** |

15 **कर्मचारी लाभ व्यय**

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु | 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु |
|---|---|---|
| वेतन और मजदूरी* | 88.92 | 16.68 |
| भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान | 0.29 | 0.15 |
| अन्य लाभ** | 18.35 | 1.47 |
| **कुल** | **107.56** | **18.31** |

* इसमें होल्डिंग कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन शामिल है
** प्रतिनियुक्ति के तहत कर्मचारियों पर भविष्य निधि में नियोक्ता योगदान की प्रतिपूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

16 **वित्तीय लागत**

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु | 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु |
|---|---|---|
| ब्याज व्यय | 0.02 | 0.20 |
| सरकारी बकाया पर ब्याज | 2.80 | 0.03 |
| बैंक गारंटी व्यय | 0.00 | - |
| जुटाव अग्रिमों पर ब्याज | 242.48 | - |
| **कुल** | **245.30** | **0.23** |

बीजी शुल्क, एनएचएआई से हमारे द्वारा ली गई 45 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि के एवज में होल्डिंग कंपनी द्वारा किया गया बैंक गारंटी शुल्क है।

17 **अन्य खर्चे**

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु | 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु |
|---|---|---|
| सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान | 1.43 | 0.76 |
| कानूनी और व्यावसायिक शुल्क | 1.79 | 0.15 |
| विज्ञापन व्यय | 0.04 | 0.82 |
| बैंक शुल्क | 2.46 | 0.09 |
| कार्यालय एवं अन्य व्यय | 1.03 | 0.35 |
| मुद्रण एवं स्टेशनरी | 0.17 | 0.04 |
| किराए का खर्च | 4.41 | 4.53 |
| दरें एवं कर | 0.02 | - |
| **कुल** | **11.36** | **6.74** |

## 18. उचित मूल्य मापन

### (i) वित्तीय माध्यमों का श्रेणीवार वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है:

स्तर 1: समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (अनुचित)

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल किए गए उद्धृत मूल्य के अतिरिक्त अन्य इनपुट जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देयता के लिए अवलोकन योग्य हैं।

स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए अप्रचलित इनपुट

**दिनांक 31 मार्च, 2023 तक श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों के मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं:**

| विवरण | वहन मूल्य | उचित मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्तर-1 | स्तर-2 | स्तर-3 |
| **परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| (i) व्यापार प्राप्य | 4,554.97 | - | - | 4,554.97 |
| (iii) रोकड और रोकड समतुल्य | 948.39 | - | - | 948.39 |
| (iii) अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ | 8,248.73 | - | - | 8,248.73 |
| **परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं** | **13,752.09** | - | - | **13,752.09** |
| (i) ऋण | 0.20 | - | - | 0.20 |
| (ii) )व्यापार देय | 4,204.54 | - | - | 4,204.54 |
| (iii) अन्य चालू वित्तीय देयताएं | 577.28 | - | - | 577.28 |
| | **4,782.02** | - | - | **4,782.02** |

**दिनांक 31 मार्च, 2022 तक श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों के मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं:**

| विवरण | वहन मूल्य | उचित मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्तर-1 | स्तर-2 | स्तर-3 |
| **परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| (i) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य | 112.62 | - | - | 112.62 |
| (ii) अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां | 2,480.46 | - | - | 2,480.46 |
| | **2,593.08** | **-** | **-** | **2,593.08** |
| **परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं** | | | | |
| (i) ऋण | 0.20 | | | 0.20 |
| (ii) व्यापार देय | 877.63 | - | - | 877.63 |
| (iii) अन्य वित्तीय देयताएं | 0.04 | - | - | 0.04 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **877.87** | **-** | **-** | **877.87** |

"प्रबंधन ने मूल्यांकन किया कि नकदी और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार देयताएं और अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां अल्पावधि के कारण बड़े पैमाने पर इन माध्यमों के अल्पकालीन परिपक्वता के कारण किया है।

**19. पूंजी प्रबंधन**

कंपनी पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से इक्विटी शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी पर विचार किया जाता है। कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन इस प्रकार करती है कि वह एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने और शेयरधारकों को प्रतिफल का अनुकूलन करने की अपनी क्षमता की रक्षा कर सके। कंपनी की पूंजी संरचना निवेशकों, लेनदारों और बाजार के विश्वास को बनाए रखने के लिए कुल इक्विटी पर ध्यान देने के साथ अपनी रणनीतिक और दिन-प्रतिदिन की जरूरतों के प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है। प्रबंधन और निदेशक मंडल पूंजी पर प्रतिफल की निगरानी करते हैं। समूह अपनी पूंजी संरचना को बनाए रखने, या यदि आवश्यक हो तो समायोजित करने के लिए उचित कदम उठा सकता है।

**20. वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य**

कंपनी की गतिविधियां इसे विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों के लिए उजागर करती हैं: क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और तरलता जोखिम। कंपनी का जोखिम प्रबंधन वित्त और लेखा विभाग द्वारा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के तहत किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करने वाली नीतियों, जैसे चलनिधि जोखिम का पर्यवेक्षण करता है।

**क) तरलता जोखिम**

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी को अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति वितरित करके तय किए जाते हैं। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी की प्रतिष्ठा को अस्वीकार्य नुकसान या जोखिम को नुकसान पहुंचाए बिना, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों स्थितियों के तहत, अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता होगी।

नीचे दी गई तालिका महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का विवरण प्रस्तुत करती है:

| विवरण | | 31 मार्च 2023 को | | |
|---|---|---|---|---|
| | बिना बिल | < 1 वर्ष | >1 वर्ष | कुल |
| ऋण | - | - | 0.20 | 0.20 |
| व्यापार देय | - | 4,204.54 | - | 4,204.54 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | - | 577.28 | - | 577.28 |
| **कुल** | **-** | **4,781.82** | **0.20** | **4,782.02** |

| विवरण | | 31 मार्च 2022 को | | |
|---|---|---|---|---|
| | बिना बिल | < 1 वर्ष | >1 वर्ष | कुल |
| ऋण | - | - | 0.20 | 0.20 |
| व्यापार देय | 836.59 | 41.04 | - | 877.63 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | - | 0.04 | - | 0.04 |
| **कुल** | **836.59** | **41.08** | **0.20** | **877.87** |

**ख) बाजार जोखिम**

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण वित्तीय साधनों के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव होगा। बाज़ार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम शामिल हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय उपकरणों में उधार, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

i) **ब्याज दर जोखिम**

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि बाजार की ब्याज दर में बदलाव के कारण वित्तीय साधनों के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव होगा। कंपनी कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुरूप ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है। बैंकों में ब्याज दर जोखिम जमा से प्रभावित वित्तीय उपकरण। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम होता है क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर तय होती है। इसके अलावा कंपनी को ऋण/उधार पर कोई महत्वपूर्ण ब्याज जोखिम नहीं है क्योंकि ऋण संवितरण राशि महत्वपूर्ण नहीं है।

ii) **विदेशी मुद्रा जोखिम**

चूंकि कंपनी का विदेशी मुद्रा में कोई लेन-देन नहीं है, इसलिए कंपनी को विदेशी मुद्रा का कोई जोखिम नहीं है।

**ग) ऋण जोखिम**

कंपनी एक ग्राहक यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इनिडा के साथ डील करती है। तदनुसार, कंपनी का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। सामान्य भुगतान शर्तों में जुटाव अग्रिम, माइलस्टन उपलब्धि पर भुगतान और परियोजना के अंत में जारी की जाने वाली कुछ प्रतिधारण राशि शामिल है। वसूली के लिए उचित ध्यान और फोकस सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर अतिदेय ग्राहक प्राप्तियों की एक विस्तृत समीक्षा प्रणाली है।

**वित्तीय संपत्तियों की सूची जिन पर क्रेडिट जोखिम लागू है**

| **विवरण** | **31 मार्च 2023 को** | **31 मार्च 2022 को** |
|---|---|---|
| (i) व्यापार प्राप्य | 4,554.97 | - |
| (iii) रोकड और रोकड समतुल्य | 948.39 | 112.62 |
| (iii) अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ | 8,248.73 | 2,480.46 |
| **कुल** | **13,752.09** | **2,593.08** |

नोट:- प्रबंधन के पिछले अनुभव के अनुसार, उपरोक्त संपत्तियों में से किसी को भी आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि के भत्ते की आवश्यकता नहीं है, तदनुसार प्रासंगिक प्रकटीकरण प्रदान नहीं किया गया है।

## 21. अतिरिक्त सूचना

| **विवरण** | **31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु** | **31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि हेतु** |
|---|---|---|
| क) लेखापरीक्षक शुल्क का भुगतान | | |
| वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क | 0.65 | 0.40 |
| कर लेखापरीक्षा | 0.20 | 0.12 |
| सीमित समीक्षा | 0.39 | 0.24 |
| प्रमाणीकरण सेवाएँ | 0.10 | - |
| व्यय की प्रतिपूर्ति | 0.09 | - |

**22. परिसंपत्तियों की क्षति**

इस अवधि के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिसूचित की धारा 133 के तहत इंड एएस 36, "परिसंपत्तियों की क्षति" के संदर्भ में निवल वसूली योग्य मूल्य और वहन लागत के आधार पर वसूली योग्य राशि की गणना करके व्यक्तिगत संपत्ति की हानि पर आकलन किया है। अधिनियम, 2013 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम 2016 के साथ पढ़ा जाए। तदनुसार, शून्य (शून्य) की हानि क्षति के लिए प्रावधान किया गया है।

**23. पट्टे**

**क) पट्टाग्राही के रूप में कंपनी**

कंपनी के पास ऐसी कोई पट्टा व्यवस्था नहीं है जो प्रकृति में रद्द न किए जाने योग्य हो। तदनुसार, कंपनी द्वारा संपत्ति के उपयोग के अधिकार और पट्टे की देनदारियों को मान्यता नहीं दी गई है।

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| अल्पकालीन पट्टों से संबंधित व्यय | 4.41 | 4.53 |

**ख) पट्टादाता के रूप में कंपनी**

कंपनी की पट्टादाता के रूप में कोई पट्टा व्यवस्था नहीं है।

**24. संबंधित पक्ष प्रकटन**

भारतीय लेखांकन मानक 24 "संबंधित पक्ष प्रकटन" के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

**(क) संबंधित पक्षों की सूची**

**(i) धारक कंपनी**

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

**(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)**

| नाम | पदनाम |
|---|---|
| श्री मसूद अहमद नज़र (24/12/2020 से) | निदेशक |
| श्री पराग वर्मा (17/02/2021 से) | निदेशक |

| | |
|---|---|
| श्री अशोक कुमार गोयल (01/10/2021 से 10/10/2022 तक) | पूर्व निदेशक |
| श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा (10/10/2022 से) | निदेशक |
| श्री बी. मुगुंथन बोजू गौड़ा (24/12/2020 से) | निदेशक |
| श्री दीपक कुमार गर्ग (17/03/2022 से) | मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| श्री एलिन रॉय चौधरी (01/07/2021 से) | मुख्य वित्तीय अधिकारी |
| श्री अंकित जैन (17/03/2021 से) | कंपनी सचिव |

**(ख) अन्य संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन इस प्रकार हैं:**

| **लेन-देन की प्रकृति** | **संबंधित पक्ष का नाम** | **संबंध की प्रकृति** | **31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु** | **31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु** |
|---|---|---|---|---|
| 1) प्रतिपूर्ति व्यय | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड | धारक कंपनी | 42.87 | 10.85 |
| 2) किराया व्यय | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड | धारक कंपनी | 4.41 | 4.53 |
| 3)इक्विटी लिखतों के माध्यम से निवेश | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड | धारक कंपनी | 5,300.00 | 1,835.00 |
| 4) कार्य उपठेका | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड | धारक कंपनी | 14,806.13 | 2,389.07 |
| 5) सामग्री अग्रिम | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड | धारक कंपनी | 2,568.59 | - |
| 6) प्रतिनियुक्ति के तहत पारिश्रमिक | श्री दीपक गर्ग | प्रमुख प्रबंधन कार्मिक | 17.50 | 2.95 |
| | श्री एलिन रॉय चौधरी | प्रमुख प्रबंधन कार्मिक | 33.20 | 6.72 |
| | श्री अंकित जैन | प्रमुख प्रबंधन कार्मिक | 14.59 | 2.30 |

**(ग) अन्य संबंधित पक्षों के साथ बकाया राशि इस प्रकार हैं:**

| लेन-देन की प्रकृति | संबंधित पक्ष का नाम | संबंध की प्रकृति | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|
| रिपोर्टिंग तिथि को देय शेष | इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड | धारक कंपनी | 4,468.65 | 843.11 |

**घ) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के निबंधन और शर्तें**

(i) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन आर्म-लैंड संव्यवहारों की शर्तों के समान किया जाता है।

(ii) ऋण को छोड़कर वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों की बकाया राशि अरक्षित है और इनका बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से निपटान होता है। ऋण और ब्याज रहित अग्रिमों के अतिरिक्त शेष संव्यवहार ब्याज मुक्त हैं।

(ii) कंपनी ने संबंधित पक्षों द्वारा देय राशियों से संबंधित प्राप्तियों की कोई हानि दर्ज नहीं की है। यह आकलन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संबंधित पक्ष की वित्तीय स्थिति और बाजार, जिसमें संबंधित पक्ष संचालित होता है, की जांच के माध्यम से किया जाता है।

**25. आकस्मिक देयताएं और पूंजी प्रतिबद्धताएं**

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| आकस्मिक देयताएं | - | - |
| पूंजी प्रतिबद्धताएं | - | - |

**26. प्रति शेयर आय**

**इंड एएस - 33 ' प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण**

मूल ईपीएस की गणना वर्ष के इक्विटी धारकों के लाभ वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

विलयित ईपीएस की गणना बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जमा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या, जिनके रूपांतरण पर जारी की जाएगी इक्विटी शेयरों को संभावित शेयर इक्विटी धारकों के लिए वर्ष हेतु लाभ से विभाजित करके की जाती है।

**(i) प्रति शेयर मूल और विलयित आय ( रुपए में)**

| विवरण | नोट | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|
| इक्विटी धारकों के लिए लाभ | | 367.33 | (1.11) |
| इक्विटी शेयरों की संख्या | | 50,000 | 50,000 |
| प्रति शेयर आय (मूल) | | 734.65 | (2.22) |
| प्रति शेयर आय (विलयित) | | 734.65 | (2.22) |
| प्रति शेयर अंकित मूल्य | | 10.00 | 10.00 |

**(ii) इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ (न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त) ( लाख रूपए में )**

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ | 367.33 | (1.11) |
| ईपीएस की गणना के लिए उपयोग किए गए कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए लाभ | 367.33 | (1.11) |

**(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (भाजक के रूप में प्रयुक्त) (संख्या)**

| विवरण | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| जारी इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष | 50,000 | 50,000 |
| मूल ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | 50,000 | 50,000 |
| विलन प्रभाव: | | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| भारित औसत संख्या<br>विलयित ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या | 50,000 | 50,000 |

**27. अतिरिक्त विनियामक सूचना**

| अनुपात | न्यूमरेटर | डिनॉमिनेटर | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु | % अंतर |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्तमान अनुपात (समय में) | कुल मौजूदा परिसंपत्तियां | कुल मौजूदा देनदारियाँ | 1.89 | 2.93 | -35.30% |
| ऋण-इक्विटी अनुपात (समय में) | कुल ऋण | शेयरधारकों की इक्विटी | - | 0.00 | 0.00% |
| ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में) | ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय | ऋण सेवा | - | 0.00 | 0.00% |
| लाभांश | कर पश्चात शुद्ध लाभ | औसत शेयरधारक की इक्विटी | 7.86% | (0.00 | -7959.57% |
| व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में) | आय | औसत व्यापार प्राप्य | 6.91 | लागू नहीं | 100.00% |
| व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में) | सेवाओं और अन्य व्यय | औसत व्यापार देय | 5.88 | 5.50 | 6.99% |
| शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात (समय में) | आय | कार्यशील पूंजी | 2.10 | 1.33 | 57.74% |
| शुद्ध लाभ अनुपात (% में) | शुद्ध लाभ | आय | 2.33% | (0.00) | -2432.46% |
| नियोजित पूंजी पर रिटर्न (% में) | ब्याज और कर पूर्व आय | नियोजित पूंजी | 15.75% | 0.00 | 125697.71% |
| निवेश पर रिटर्न (% में) | निवेश से उत्पन्न आय | समय भारित औसत निवेश | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

कंपनी का वर्तमान और पिछले वर्षों में कोई निवेश नहीं है।

* रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए ऋण इक्विटी अनुपात और ऋण सेवा अनुपात की गणना नहीं की गई है।

** विविधताओं के कारण जहां विविधताओं का प्रतिषत 25% से अधिक है:

क) वर्तमान अनुपात (समय में): वर्तमान परिसंपत्तियों की तुलना में वर्तमान देनदारी में वृद्धि के कारण भिन्नता है।

ख) इक्विटी पर प्रतिफल (% में): चालू वर्ष में समापन पद्धति के % पर राजस्व की पहचान के कारण, जबकि पिछले वर्ष में राजस्व मान्यता खर्च की गई लागत तक सीमित थी। विवरण के लिए नोट 28 देखें।

ग) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में):- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान जारी किए गए चालान में वृद्धि के कारण भिन्नता है।

घ) शुद्ध पूंजी व्यवसाय अनुपात (समय में): पिछले वर्ष की तुलना में निर्माण गतिविधियों में वृद्धि के कारण भिन्नता है।

ड.) शुद्ध लाभ अनुपात और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (% में): चालू वर्ष में समापन विधि के % पर राजस्व की मान्यता के कारण, जबकि पिछले वर्ष में राजस्व मान्यता खर्च की गई लागत तक सीमित थी। विवरण के लिए नोट 28 देखें।

## 28. राजस्व

### क. राजस्व का पृथक्करण

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्रचालनिक सेगमेंट और उत्पाद या सेवाओं के प्रकार में कंपनी के राजस्व का पृथक्करण नीचे दिया गया है:

| | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्पाद या सेवाओं का प्रकार | इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व | | | निष्पादन दायित्व मापन हेतु विधि | | अन्य राजस्व | लाभ हानि विवरण/सेगमेंट रिपोर्टिंग के अनुसार कुल |
| | घरेलू | विदेशी | कुल | इनपुट विधि | आउटपुट विधि | | |
| राजमार्ग* | 15,748.37 | - | 15,748.37 | 15,748.37 | - | - | 15,748.37 |
| **कुल** | 15,748.37 | - | 15,748.37 | 15,748.37 | - | - | 15,748.37 |

* वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के तहत मान्यता प्राप्त कुल राजस्व, 15,748.37 लाख रुपये, समय की अवधि में मान्यता प्राप्त है।

| | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्पाद या सेवाओं का प्रकार | इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व | | | निष्पादन दायित्व मापन हेतु विधि | | अन्य राजस्व | लाभ हानि विवरण/सेगमेंट रिपोर्टिंग के अनुसार कुल |
| | घरेलू | विदेशी | कुल | इनपुट विधि | आउटपुट विधि | | |
| राजमार्ग* | 2,467.52 | - | 2,467.52 | 2,467.52 | - | - | 2,467.52 |
| **कुल** | 2,467.52 | - | 2,467.52 | 2,467.52 | - | - | 2,467.52 |

* वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के तहत मान्यता प्राप्त कुल राजस्व, 2,467.52 लाख रुपये, समय की अवधि में मान्यता प्राप्त है।

### ख. संविदागत शेष

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| संविदागत परिसंपत्तियां | 7,229.71 | 2,480.46 |

| | | |
|---|---|---|
| संविदागत दायित्व | 3,375.00 | - |
| व्यापार प्राप्य | 4,554.97 | - |

(i) व्यापार प्राप्य ब्याज रहित है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से संबंधित है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, महत्वपूर्ण उपलब्धि पर भुगतान शामिल है। प्रत्येक चालान के साथ 15 दिन की ऋण अवधि दी जाती है।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि के ऊपर स्वीकार किया जाता है, जिसमें सेवाएं निष्पादित की गई हैं ताकि ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय में कंपनी के अधिकार को स्पष्ट किया जा सके। इसमें निर्माण संविदा के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष शामिल है, जो तब उत्पन्न होती हैं जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से धनराशि प्राप्त करती हैं। तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त अवधि में स्वीकार किया जाता है। पूर्व में स्वीकृत संविदा परिसंपत्ति के रूप में और किसी भी राशि को संबंधित शर्तों के संतोषपूर्ण पूरा होने पर पुनः वर्गीकृत किया जाता है अर्थात भावी सेवाएं जो बिल योग्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

**वर्ष के दौरान संविदागत शेषों का संचलन**

(रूपए लाख में)

| **विवरण** | **31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए** | **31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए** |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में संविदागत परिसंपत्तियां | 2,480.46 | 12.93 |
| वर्ष के अंत में संविदागत परिसंपत्तियां | 7,229.71 | 2,480.46 |
| **निवल वृद्धि/कमी** | **4,749.25** | **2,467.53** |

वर्ष 2022-23 और 2021-22 के लिए - क्रमशः 4,749.25 लाख रुपये और 2467.53 लाख रुपये की शुद्ध वृद्धि हुई है। अनुबंध परिसंपत्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व की पहचान के कारण होती है जबकि किए गए कार्य के बिल लक्ष्य की उपलब्धि पर आधारित होते हैं।

(iii) निर्माण संविदाओं से संबंधित संविदागत देनदारियां, ग्राहकों को देय राशि होती हैं, ये तब उत्पन्न होती हैं जब इनपुट पद्धति के तहत विशेष लक्ष्य भुगतान मान्यता प्राप्त राजस्व और दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों में प्राप्त अग्रिम से अधिक हो जाता है। प्राप्त अग्रिम की राशि निर्माण अवधि में समायोजित हो जाती है, जबकभी ग्राहक को बीजक जारी किया जाता है।

**वर्ष के दौरान संविदागत देयताओं का संचलन**

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| वर्ष की शुरुआत में अनुबंध देनदारियाँ | - | - |
| ग्राहक से अग्रिम प्राप्त हुआ | 4,500.00 | - |
| अनुबंध दायित्व से मान्यता प्राप्त राजस्व | (1,125.00) | - |
| **वर्ष के अंत में संविदागत देयताएं** | **3,375.00** | **-** |

ग. अनुबंध प्राप्त करने की लागत
दिनांक 31 मार्च, 2023 को संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त राशि शून्य है (31 मार्च, 2022 तक: शून्य)
वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त परिशोधन की राशि शून्य है (वित्तीय वर्ष 2021-22: शून्य)

घ. कार्यनिष्पादन दायित्व
कंपनी के प्रदर्शन दायित्वों के बारे में जानकारी नीचे संक्षेप में दी गई है:
31 मार्च को शेष निष्पादन दायित्वों (असंतोषी या आंशिक रूप से असंतुष्ट) के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य इस प्रकार हैं:

| विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| एक वर्ष के भीतर | 58,017.39 | 15,748.37 |
| एक वर्ष से अधिक | 25,567.18 | 83,584.57 |
| **कुल** | **83,584.57** | **99,332.94** |

**ड. राजस्व स्वीकृति से संबंधित लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन :**

कंपनी ने राजमार्ग सड़क के निर्माण के कार्यनिष्पादन दायित्व को मापने में अनिश्चितता के कारण कार्यनिष्पादन दायित्व की संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापने के लिए इनपुट के रूप में खर्च की गई लागत का उपयोग किया है। राजस्व को 31.03.2022 तक की गई लागत की सीमा तक मान्यता दी गई थी। परियोजना की पर्याप्त निर्माण प्रगति को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन ने अब लागत और राजस्व स्थिति का मूल्यांकन किया है और संचयी कैचअप समायोजन का उपयोग करके दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष में राजस्व में लाभ मार्जिन को शामिल किया है। पिछले वर्षों में संतुष्ट कार्यनिष्पादन दायित्व से मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि 24.80 करोड़ है। इसके अलावा, अनुबंध परिसंपत्ति के संचलन पर प्रभाव निम्नानुसार है:

**1) 1) वर्ष के दौरान अनुबंध परिसंपत्ति शेष में महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं:**

| विवरण | 31 मार्च 2023 |
|---|---|
| वर्ष के आरंभ में अनुबंध परिसंपत्तियों का संतुलन | 2,480.46 |
| वर्ष के आरंभ में अनुबंध संपत्तियों से प्राप्तियों में स्थानांतरण को मान्यता दी गई | (2,566.36) |
| वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व को इनवाइस किया गया | 7,229.71 |
| अनुमानों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले संचयी कैच-अप समायोजन के परिणामस्वरूप परिवर्तन | 85.91 |
| वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्तियों का संतुलन | 7,229.71 |

## 28.1 सेवा रियायत व्यवस्थाएं

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत की व्यवस्था को परिशिष्ट "घ" के अनुसार दर्ज किया जाता है - सेवा रियायत व्यवस्था (इंड एएस -115)। परिशिष्ट "घ" यदि लागू हो:

क) अनुदानकर्ता नियंत्रित और विनियमित करेगा कि प्रचालक आधारभूत सुविधाओं के साथ कौन-सी सेवाएं प्रदान करेगा, ये सेवाएं किसके लिए प्रदान की जाएंगी और किस कीमत पर इन्हें प्रदान की जाएंगी; तथा

ख) अनुदानकर्ता स्वामित्व, लाभकारी पात्रता, या अन्यथा व्यवस्था की अवधि के अंतर्गत अवसंरचना में किसी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित के माध्यम से नियंत्रित करेगा।

यदि उपरोक्त दोनों शर्तों को एक साथ पूरा किया जाता है, तो एक वित्तीय परिसंपत्ति को इस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा कि प्रचालक को सेवा के लिए या अनुदानकर्ता के विवेक पर नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने के विशेषाधिकार होगा।

इन वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभिक लागत पर स्वीकार किया जाएगा, जो प्रचालनों के कारण प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों पर होगी। इन्हें तत्पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधित लागत पर लेखांकित किया जाएगा।

इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाइवे लिमिटेड (आईजीआरएचएल) ने " भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ किए गए रियायत करार की शर्तों के अनुसार, भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड एनिविटी मोड पर एक फीडर रूट के रूप में हरियाणा राज्य में एनएच-352डब्ल्यू के गुड़गांव-पटौदी-रेवाड़ी खंड को किमी 0.00 से किमी 43.87 (डिजाइन लंबाई 46.11 किमी) से अपग्रेड करने" का कार्य सौंपा है। उक्त समझौते के संदर्भ में, आईजीआरएचएल के पास चार/ छह लेनिंग की परियोजना के निर्माण को पूरा करने और परियोजना की संपत्ति, जिनके जीवन की अवधि समाप्त हो गई है, सहित सभी परियोजनाओं संपत्ति को उचित कार्यशील स्थिति में रखने का दायित्व है। परियोजना हाइब्रिड एनिविटी पैटर्न पर आधारित है।

रियायत की अवधि नियत तिथि से 17 वर्ष होगी। रियायत अवधि के अंत में, परिसंपत्तियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

समझौते के संदर्भ में महत्वपूर्ण उल्लंघन के मामले में एनएचएआई और कंपनी के पास इस समझौते के अनुसार चूक की घटना का समाधान करने में सक्षम न होनी की स्थिति में समझौते को समाप्त करने का अधिकार है।

कंपनी ने "ग्राहकों से राजस्व" से संबंधित इंड एएस - 115 के अनुसार एससीए के तहत सड़क के निर्माण पर दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 15,748.37 लाख रुपये का राजस्व और 367.33 लाख रुपये का लाभ स्वीकार किया है। कंपनी ने सेवा रियायत व्यवस्था के तहत प्राप्य को मान्यता दी है और अन्य वित्तीय वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत दिखाया है जो उसे 31 मार्च 2023 तक लक्ष्य के पूरा होने के आधार पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्राप्त होगा।

**इंड एएस-115 के परिशिष्ट-घ के संदर्भ में प्रकटीकरण**

कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2016 में अधिसूचित अनुसार, इंड एएस-115: ग्राहकों से राजस्व में परिशिष्ट-घ में अपेक्षित प्रकटनों के अनुसार, तुलन पत्र की तारीख को वित्तीय विवरणों में विचाराधीन राशि निम्नानुसार है: -

**रूपए लाख में**

| **विवरण** | **31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु** | **31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु** |
|---|---|---|
| आज तक मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व है | 15,748.37 | 2,479.93 |
| खर्च की गई लागत की कुल राशि | 15,317.44 | 2,479.93 |
| ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि (शुद्ध) | 3,375.00 | – |
| ग्राहक द्वारा प्रतिधारण की राशि | 1,013.01 | – |
| वित्तीय परिसंपत्ति के लिए निर्माण सेवा के आदान-प्रदान के लिए वर्ष के दौरान लाभ/(हानि) को मान्यता दी गई | 490.88 | |
| संविदागत कार्यों हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि | 4554.97 | – |

**29. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के देय राशियों का ब्यौरा: -**

| क्र.सं | विवरण | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|
| क) | प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को शेष अप्रदत्त राशि की मूल राशि और उस पर ब्याज: | 0.15 | शून्य |
| ख) | सूक्षम और लघु उपक्रम पर देय मूल राशि | 0.15 | शून्य |
| ग) | उपर्युक्त पर देय ब्याज | शून्य | शून्य |
| घ) | प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से आगे आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में रीजन (क्षेत्र) द्वारा देय ब्याज की राशि। | शून्य | शून्य |
| ड.) | भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है किन्तु धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना। | शून्य | शून्य |
| च) | प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अजित ब्याज और शेष अप्रदत्त राशि; | शून्य | शून्य |
| छ) | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत आगामी वर्षों में भी देय शेष ब्याज की राशि, ऐसी तारीख जबतक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो गई हो, जो कि कटौती योग्य व्ययों की अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु है। | शून्य | शून्य |

**30. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व**

यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 के अंतर्गत नहीं आती है और वित्तीय वर्ष में कोई सीएसआर व्यय नहीं किया गया है।

**31. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 186 के अनुसरण में प्रकटन**

अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने वाली कंपनी होने के कारण, कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-186 की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त है। इसलिए, धारा-186(4) के तहत प्रकटन कंपनी पर लागू नहीं होता है।

**32. अन्य सांविधिक प्रकटन**

(i) दिनांक 31 मार्च 2023 तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-560 के तहत वर्ष के दौरान बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

(ii) दिनांक 31 मार्च 2023 तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुवल मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(iii) दिनांक 31 मार्च 2023 तथा 31 मार्च 2022 को, कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

(iv) दिनांक 31 मार्च 2023 तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को, कंपनी के पास कोई पूर्व अवधि की त्रुटियां नहीं हैं, जिन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में अलग से प्रकट किया जाना है।

(v) दिनांक 31 मार्च 2023 तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है, जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत नहीं है।

(vi) वित्तीय वर्ष 2023 तथा 2022 के दौरान, कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (इकाईयों) को इस सोच के साथ उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ (क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार या निवेश करेगा या कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचानी गई संस्थाएं को, या

(ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करती हैं।

(vii) वित्तीय वर्ष 2023 तथा 2022 के दौरान, कंपनी को विदेशी संस्थाओं (वित्तपोषण पक्षों) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनी:

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें या

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की प्रदान करें।

(viii) दिनांक 31 मार्च 2023 तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को, कंपनी के पास प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और अन्य संबंधित पक्षों से ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।

(ix) कंपनी का ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं है जो उन लेखा बिहयों में दर्ज नहीं है जिन्हें बाद में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत या आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान के तहत चल रहे कर निर्धारण के भाग के रूप में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या प्रकटन किया गया है।

(x) वित्तीय वर्ष 2023 तथा 2022 के दौरान कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वैच्छिक चूककर्ता के रूप घोषित नहीं किया गया है।

(xi) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है।

(xii) कंपनी को बैंक के साथ वर्तमान परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए कंपनी द्वारा बैंक के साथ दायर किए गए विवरण और खात बहियों के समायोजन का प्रावधान लागू नहीं है।

(xiii) वित्तीय वर्ष 2023 तथा 2022 के दौरान कंपनी का ऐसा कोई लेनदेन नहीं है, जहां कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया है जिसके लिए इसे तुलनपत्र की तारीख में लिया गया था।

(xiv) 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 तक कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।

(xv) कंपनी को 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष और 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई अनुदान और दान प्राप्त नहीं हुआ है।

(xvi) कंपनी के पास कोई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति नहीं है।

(xvii) कंपनी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष और 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान व्यवस्था की किसी भी योजना में प्रवेश नहीं किया है।

(xviii) कंपनी के पास दिनांक 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 तक कोई भी पूंजीगत कार्य-प्रगति, निवेश संपत्ति, अमूर्त संपत्ति और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति नहीं है। वर्ष 2022-23 और 2021-22 के दौरान, कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

**33. हाल की घोषणाएं**

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। दिनांक 23 मार्च, 2022 को, एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2022 में संशोधन किया है, जो निम्नानुसार है:

इंड **एएस1- वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति** - इस संशोधन में संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के स्थान पर अपनी सामग्रीगत लेखांकन नीतियों का प्रकटन करने की आवश्यकता है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद आरंभ होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संशोधन का प्रभाव नगण्य है।

इंड **एएस 8- लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटि -** इस संशोधन ने 'लेखा अनुमान' की एक परिभाषा प्रस्तुत की है और संस्थाओं को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन से लेखांकन नीतियों में परिवर्तन को अलग करने में मदद हेतु इंड एएस 8 में संशोधन शामिल किया गया है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात आरंभ होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

**इंड एएस 12 - आयकर** - इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है, इसलिए यह उन लेनदेन पर लागू नहीं होता है, जो समान और अस्थायी मतभेदों को उत्पन्न करते हैं। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

## 34. अन्य नोट

1) इस कंपनी का निगमन 24 दिसंबर, 2020 इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में हुआ है। इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनजीआरएचएल), ने दिनांक 20 जनवरी, 2021 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनकी शर्तों के अनुसार एनएचएआई (प्राधिकरण) द्वारा अभिकल्प, निर्माण, प्रचालन और अंतरण (हाइब्रिड वार्षिकी) आधार पर इसे चार/छह लेन का के लिए हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-352) के गुड़गांव-पटौदी-रेवाड़ी खंड को 0.000 किमी से 43.87 किमी (लगभग 46.11 किमी) तक मौजूदा सड़क के संवर्धन के लिए कंपनी को प्राधिकृत किया गया है, जिसे आंशिक रूप से रियायतग्राही द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा, जो अपने निवेश और लागत की वसूली, प्रवेश किए जाने वाले सेवा रियायत करार में निर्धारित किए जाने वाली निबंधन और शर्तों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा किए जाने वालने भुगतान से करेगी।

आईजीआरएचएल ने उपरोक्त वर्णित कार्य इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को 60,605.4 लाख + जीएसटी @ 12% की निश्चित लागत पर दिया है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने अब तक

पंद्रवांह आईपीसी प्रस्तुत किए हैं, अर्थात 14806.13 लाख रुपये अर्थात कुल कार्य का 24.35% है।

2. प्रचालनिक सेगमेंट: कंपनी HAM मॉडल पर हरियाणा राज्य में एनएच-352 के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के व्यवसाय में कार्यरत है, क्योंकि कंपनी का एकल व्यवसाय और भौगोलिक खंड है, इसलिए वित्तीय विवरण में कोई प्रासंगिक प्रकटन नहीं किया गया है।

3. कंपनी के पास बैंक और अन्य पक्षों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि की एक प्रणाली है। इसलिए व्यापार/अन्य देय और ऋण और अग्रिम के संबंध में, शेष पुष्टिकरण पत्र पक्षों को भेजा गया था। कुछ व्यापार प्राप्य, अन्य संपत्तियों, व्यापार और अन्य देय की शेष राशि पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है। सुलह निरंतर आधार पर की जाती है। हालाँकि, प्रबंधन पर ऐसी लंबित पुष्टियों/समाधानों का कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

4. चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनीयता बढ़ाने के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण किए गए हैं। इन पुनर्वर्गीकरणों का संचालन के रिपोर्ट किए गए परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

5. आंकड़ों को लाख रूपए के निकटम अंक में राउंड ऑफ किया गया है।

**हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**

**निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से**
**इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग लिमिटेड**

**कृते राजन मलिक एंड कंपनी**
**सनदी लेखाकार**
**आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 019859एन**

**मसूद अहमद नज़र**
**(निदेशक)**
**डीआईएन: 09008553**

**बी. मुगुंथन**
**(निदेशक)**
**डीआईएन: 08517013**

**विजय कुमार चौरसिया**
**साझेदार**
**आईसीएआई सदस्यता सं: 521879**

**एलिन रॉय चौधरी**
**मुख्य वित्त अधिकारी**

**दीपक कुमार गर्ग**
**मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

**स्थान : नोएडा**
**दिनांक: 17.05.2022**

**अंकित जैन**
**(कंपनी सचिव)**
**(सदस्यता सं. 35053)**

**भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग**
**प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय**
**रेलवे वाणिज्यक नई दिल्ली**

**INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT**
**OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT**
**RAILWAY COMMERCIAL, NEW DELHI**

**संख्या: पी डी ए/आर सी/ IGRHL/AA 48/22/2022-23/222** **दिनांक: 24.07.2023**

सेवा में,

अध्यक्ष
इरकॉन गुडगाँव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली -110017.

**विषय: 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन गुडगाँव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ |**

महोदय,

मैं, इरकॉन गुडगाँव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों अंग्रेषित कर रहा हूँ।

कृप्या इस पत्र की संलग्न को सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

**भवदीय,**

**डॉ. नीलोत्पल गोस्वामी**
**महानिदेशक (रेलवे वाणिज्यक)**

संलग्र: यथोपरि

**31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए गुडगाँव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।**

कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन गुडगाँव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड** का वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टीट्यूट आफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनुसार तथा आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 12 मई 2023 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन गुडगाँव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

**कृते एवं की ओर से**
**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

**ह/-**
**डॉ. नीलोत्पल गोस्वामी**
**लेखापरीक्षा महानिदेशक**
**रेल वाणिज्यिक, नई दिल्ली**

**स्थान : नई दिल्ली**
**दिनांक: 24.07.2023**

# इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड

---


**पंजीकृत और निगमित कार्यालय :**

**सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत**

**दूरभाष: +91-11-26530266 | फैक्स: +91-11-26522000, 26854000**

**ई-मेल आईडी: ankit.jain@ircon.org**